"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2005—आषाढ़ 17, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2005

क्रमांक ई 1-2/2005/1/2.—डॉ. पी. राघवन, भा.प्र.से. (1971), प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग एवं कृषि उत्पादन आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. श्री बी. के. एस. रे. भा.प्र.से. (1972), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, कृषि विभाग (कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन) एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री शिवराज सिंह, भा.प्र.से. (1973), प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज निगम को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी/जैव प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.

4. श्री पी. जॉय उम्मेन, भा.प्र.से. (1977), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं आदिमजाति, अनु.जाति विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विकास आयुक्त सह प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री एस. मिंज, भा.प्र.से. (1978), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन खेल एवं युवक कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री विवेक ढांड, भा.प्र.से. (1981), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास, आवास, पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं सचिव, मुख्यमंत्री को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, जल संसाधन, ऊर्जा एवं सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री डी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से. (1982), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, वित्त एवं योजना तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. (1983), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, नगरीय विकास विभाग तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. श्री एम. के. राउत, भा.प्र.से. (1984), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं विकास आयुक्त, सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संसदीय कार्य विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम के पद पर पदस्थ किया जाता है.

10. श्री पी. सी. दलेई, भा.प्र.से. (1984), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विभाग एवं प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, श्रम विभाग एवं श्रम आयुक्त के पद पर पदस्थ किया जाता है.

11. श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), आयुक्त उद्योग, प्रबंध संचालक, सी. एस. आई. डी. सी., प्रबंध संचालक, सी. आई. डी. सी., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग एवं आयुक्त जनसंपर्क को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, वाणिज्यिक कर (केवल आबकारी तथा पंजीयन), आयुक्त वाणिज्यिक कर, आबकारी आयुक्त एवं प्रबंध संचालक, बेवरेज कार्पोरेशन के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री जैन सचिव, जनसंपर्क विभाग एवं आयुक्त, जनसंपर्क के प्रभार में यथावत् रहेंगे.

12. श्रीमती रेणु जी पिल्ले, भा.प्र.से. (1991), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, संचालक, बजट एवं संस्थागत वित्त को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक का प्रभार भी सौंपा जाता है.

13. श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से. (1992), संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म एवं महानिरीक्षक, पंजीयन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, उद्योग, प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. एवं प्रबंध संचालक, सी.आई.डी.सी. के पद पर पदस्थ किया जाता है.

14. श्री एस. के. तिवारी, भा.प्र.से. (1993), कलेक्टर, जिला कबीरधाम (कवर्धा) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है.

15. सुश्री निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (1994), सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, खनिज तथा संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

16. श्री बी. एल. तिवारी, भा. प्र. से. (1996), कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला कबीरधाम (कवर्धा) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

17. श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1997) की सेवाएं सहकारिता विभाग को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है. साथ ही प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं संचालक, पशुपालन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

18. श्री एम. के. त्यागी, भा.प्र.से. (1997), कलेक्टर, जिला महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, खनिज साधन तथा कार्यपालक संचालक, खनिज विकास निगम के पद पर पदस्थ किया जाता है.

19. श्री सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. (1999), आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर एवं रजिस्ट्रार, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 17 जून 2005

क्रमांक ई 1-3/2005/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/13/2001-ए.आई.एस. (1) दिनांक 10-11-2003 द्वारा श्री सत्यजीत ठाकुर, भा.प्र.से. (यू.पी. 1985) को उत्तर प्रदेश राज्य संवर्ग से छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिए अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं सौंपी थी. अब भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ने अधिसूचना क्रमांक 13017/13/2001-ए.आई.एस. (1) दिनांक 13-5-2005 द्वारा श्री सत्यजीत ठाकुर, भा.प्र.से. (यू.पी. 1985) की अत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त करते हुए, उनकी सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में वापस लौटाने के आदेश पारित किये हैं. अतएव श्री सत्यजीत ठाकुर, भा.प्र.से. (यू.पी. 1985), श्रमायुक्त एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य संवर्ग में तत्काल प्रभाव से प्रत्यावर्तित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जून 2005

क्रमांक ई-7/48/2004/1/2.—श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से., कलेक्टर, कोरबा को दिनांक 21-6-2005 से 24-6-2005 तक (4 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री द्विवेदी के उक्त अवकाश अवधि में कलेक्टर, कोरबा का चालू कार्य श्री सुधाकर खलखो, अपर कलेक्टर, कोरबा सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरबा के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2005

क्रमांक ई-7/15/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-6-2005 द्वारा श्री सरजियस मिंज, भा.प्र.से. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 20-6-2005 से 30-6-2005 तक (11 दिवस) स्वीकृत की गई अर्जित अवकाश में संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17-6-2005 से 30-6-2005 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिंज, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2005

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग को दिनांक 29-6-2005 से 8-7-2005 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 9, 10-7-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2005

क्रमांक एफ-6-9/राजस्व/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा सूची के कालम (2) में वर्णित अधिकारी को उक्त सूची के कालम (3) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट नगर बस्ती समूह के लिये नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 व 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है.

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	नगर बस्ती समूह (3)
1.	श्री ए. के. टोप्पो, अपर कलेक्टर, रायपुर	रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2005

क्रमांक एफ-1(ए)1/2002/स्था./चार.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची के पैराग्राफ (ङ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अनुसूची में,—

पैराग्राफ (ङ) के सरल क्रमांक 8 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाय :—

"9 छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल".

Raipur, the 14th June 2005

No. F-1 (A)1/2002/Estt./Four.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 21 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973), the State Government, hereby, makes the following amendment in paragraph (E) of the Schedule of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In Said schedule,—

After serial Number 8, in paragraph (E) of the following serial Number shall be added :—

"9 Chhattisgarh Shram Kalyan Mandal".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. बीसी, विशेष सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2005

क्रमांक एफ 6-110/2005/वाक. (आब)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सच्चिदानन्द उपासने, रायपुर को तत्काल प्रभाव से, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कारपोरेशन, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

2. श्री उपासने की नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2005

क्रमांक 5269/डी-1411/21-ब/छ.ग./05.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्र. 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और माननीय छ. ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1490/डी-325/21-ब/छ.ग., दिनांक 23-2-2005 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा श्री शिव मंगल पांडे, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किये गये मामलों के विचारण के लिए नीचे विनिर्दिष्ट राजस्व जिले में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करता है, इसका मुख्यालय रायपुर होगा :—

क्रमांक (1)	राजस्व जिले का नाम (2)
1.	रायपुर

(1)	(2)
2.	दुर्ग
3.	राजनांदगांव
4.	बिलासपुर
5.	अंबिकापुर (सरगुजा)
6.	बस्तर (जगदलपुर)
7.	कांकेर
8.	दंतेवाड़ा
9.	कवर्धा
10.	महासमुन्द
11.	कोरबा
12.	कोरिया
13.	धमतरी
14.	जांजगीर
15.	रायगढ़
16.	जशपुर

Raipur, the 21st June 2005

No. 5269/D-1411/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention on Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), in consultation with the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in supersession of this department notification No. 1490/D-325/XXI-B/C.G., dated 23-2-2005 the State Government hereby appoints Shri Shiv Mangal Pandey, IIIrd Additional District & Sessions Judge, Raipur as Special Judge with the headquarters at Raipur for the area comprising of the Revenue Districts specified below to try the cases in regards to offences specified in column (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 by the Delhi Police and Central Bureau of the Investigation :—

No. (1)	Name of the Revenue District (2)
1.	Raipur
2.	Durg
3.	Rajnandgaon
4.	Bilaspur
5.	Ambikapur (Sarguja)
6.	Bastar (Jagdalpur)
7.	Kanker
8.	Dantewada
9.	Kwardha
10.	Mahasamund
11.	Korba
12.	Koria
13.	Dhamtari
14.	Janjgir
15.	Raigarh
16.	Jashpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जून 2005

क्रमांक 5257/1225/21-ब/छ.ग./05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एच. एन. गुप्ता, अधिवक्ता, सरगुजा जिला अंबिकापुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि के लिए अंबिकापुर जिले के सूरजपुर नियमित न्यायालय के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2005

क्रमांक/एफ 9-49/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (2) के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजनांदगांव, निवेश क्षेत्र जो इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1638/एफ-1/46/तैंतीस/74 दिनांक 25 मई 1974 द्वारा गठित किया गया था. जिसकी सीमाओं में परिवर्तन करती है जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है.

अनुसूची

राजनांदगांव निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम पेण्डरी, बजरंगपुर-नवागांव, ढाबा, गठुला, पारीकला, सुन्दरा एवं मनकी, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम मनकी, कन्हारपुरी मोहड, हरदी, सिंगदई एवं सिंघोला, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम सिंघोला, भंवरमरा, बाकल एवं फरहद, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम फरहद, रेवाडीह एवं पेण्डरी, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2005

क्रमांक एफ 15-138/2002/नौ/17.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, फार्मेसी अधिनियम 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 26 के परन्तुक के परिप्रेक्ष्य में, डॉ. टी. आर. साहू, सेवानिवृत्त सिविल सर्जन, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करता है. तद्नुसार डॉ. साहू द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डॉ. ए. के. कदीर, रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल के पद से कार्यमुक्त माने जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एम. कुलकर्णी, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2005

क्रमांक 1690/13/ऊ.वि./05.—विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 36 सन् 2003) की धारा 108 की उपधारा (2) के उपखण्ड (झ) सहपठित धारा 105 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2005 है.
(दो) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषा :—**

(एक) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम 36 सन् 2003),
(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग,
(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, आयोग का अध्यक्ष,
(घ) "प्रारूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप,
(ङ) "वर्ष" से अभिप्रेत है, 31 दिसम्बर के पूर्व के बारह महीने की कालावधि,
(च) "सचिव" से अभिप्रेत है, आयोग का सचिव.

(दो) शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं है, उसके वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 36 सन् 2003) में क्रमशः दिए गए हैं.

3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की आवर्तिता व रिपोर्ट को जमा करना :—

आयोग 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग द्वारा किये गये कार्यों को संक्षिप्त में दर्शाते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर के राज्य शासन के ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करायेगा.

4. वार्षिक रिपोर्ट की अंतर्वस्तु एवं प्रारूप :—

वार्षिक रिपोर्ट में प्रारूप-एक में दर्शाए अनुसार प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह से लेकर बारह माह की कार्यवाही के दौरान में किये गये क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाएगा.

5. आयोग के वार्षिक रिपोर्ट को विधान सभा के पटल पर रखा जाना :—

राज्य सरकार, आयोग से प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट को इसके प्राप्त होने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र विधान सभा में पटल पर रखवाएगी.

6. नियमों की व्याख्या का अधिकार :—

इन नियमों की व्याख्या का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगी तथा उसकी व्याख्या अंतिम होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

प्रारूप-I

(देखिये नियम-4)

छत्तीसगढ़ राज्य नियामक आयोग के द्वारा वर्ष . . . . के लिये वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट में निम्न अनुसार विषयों का विवरण सम्मिलित किया जाए :—

(1) प्रस्तावना,

(2) संगठनात्मक चार्ट,

(3) आयोग के कृत्य,

(4) सलाहकार समिति-गठन तथा इसके कृत्य,

(5) आयोग द्वारा किये विभिन्न कार्यों का विवरण संक्षेप में व प्रगति,

(6). विद्युत के थोक, बल्व, ग्रिड या खुदरा हेतु टेरिफ का निर्धारण,

(7) पारेषण सुविधा के उपयोग हेतु टैरिफ का निर्धारण,

(8) बिजली क्रय तथा पारेषण उपयोग वितरण उपयोग की उपार्जन प्रक्रिया हेतु विनियम,

(9) आयोग द्वारा वर्ष में किये गये अन्य कार्य.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2005

क्रमांक 1718/13/2005.—विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का संख्यांक 36) की धारा 135 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अथवा उसके उत्तरवर्ती संस्थाओं के कनिष्ठ अभियंताओं को सम्मिलित करते हुए सभी अधिकारियों को निम्नलिखित प्रयोजनों के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत करती है :—

1. किसी स्थल या परिसर में प्रवेश व निरीक्षण या तोड़कर खोलने तथा तलाशी लेने जिसमें उसे विश्वास करने का कारण है कि विद्युत का अनाधिकृत प्रयोग किया जा चुका है या किया जा रहा है;

2. ऐसी समस्त युक्तियों, उपकरणों, तारों या अन्य सुकर बचने वाले या वस्तु जो विद्युत के अनाधिकृत प्रयोग हेतु प्रयुक्त की जा चुकी है या की जा रही है कि तलाशी लेने, अभिः हित करने तथा हटाने;

3. किन्हीं खाता बहियों या ऐसे दस्तावेजों जो कि उसकी राय में धारा 135 की उपधारा (1) के अंतर्गत आरोपियों पर कार्यवाहियों में उपयोग या सुसंगत हो सकेंगे की परीक्षा तथा अभिग्रहण करने तथा व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से ऐसी खाता बहियों या दस्तावेज अभिग्रहित किये गये हैं, उसकी उपस्थिति में उनकी प्रतियां बनाने या अंश लेने हेतु अनुज्ञात करने.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2005

क्रमांक 1787/13/ऊ.वि./05.—विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 108 की उपधारा (2) के उपखण्ड (क) सहपठित धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुविज्ञप्ति के लिये आवेदन शुल्क) नियम, 2005 है.

(दो) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषा :—**

इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(एक) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 36 सन् 2003),

(दो) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग.

3. **अनुविज्ञप्ति के लिए आवेदन शुल्क :—**

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत स्वीकृति की जाने वाली किसी अनुविज्ञप्ति के आवेदन के साथ आयोग को शुल्क रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) देय होगी.

4. शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, पे आर्डर या बैंकर चेक के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर को किया जावेगा.

5. इन नियम के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि में परिवर्तन या उसकी समाप्ति, आयोग द्वारा कारणों को लिखित में अभिलिखित कर किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2005

क्रमांक एफ-1-29/2004/(6) 52.—राज्य शासन, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री शफीक अहमद, उप संचालक (रेशम), अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर को, स्थानापन्न रूप से संयुक्त संचालक (रेशम) के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, वेतनमान रुपये 12000-375-16500 में पदोन्नत करते हुये कार्यालय संयुक्त संचालक (रेशम) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र-बिलासपुर में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2005

क्रमांक एफ-20-95/04/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा 1 नवम्बर 2004 से प्रभावी "छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004" निम्नानुसार लागू करता है.

1. **परिचय :—**

राज्य में औद्योगीकरण को गति प्रदान कर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास एवं अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग एवं कमजोर वर्ग की औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु औद्योगिक नीति 2004-09 में पूर्व परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति अनुदान योजना के क्षेत्र का विस्तार किया गया है व इसे "परियोजना प्रतिवेदन अनुदान" का नाम दिया गया है.

2. **नियम :—**

ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004" कहे जावेंगे.

3. **प्रभावी दिनांक :—**

ये नियम दिनांक 1-11-2004 से प्रभावी माने जावेंगे.

4. **परिभाषाएं :—**

(1) इस योजना के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई, मध्यम-वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट, अति वृहद उद्योग, सामान्य उद्योग, विशेष थ्रस्ट उद्योग, अपात्र उद्योग, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अनिवासी भारतीय, शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशक, "कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी" तथा "राज्य के मूल निवासी" की वही परिभाषाएं होंगी जो "छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना-स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004" में दी गई है.

(2) **परियोजना प्रतिवेदन—**
परियोजना प्रतिवेदन से अभिप्रेत उद्योग या क्षेत्र विशेष से संबंधित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें संसाधनों, बाजार सर्वेक्षण, तकनीकी/आर्थिक वायबिलिटी/लोकेशन सर्वे/उत्पादन प्रक्रियाओं का चयन आदि का समावेश हो-

5. **पात्रता :—**

(1) औद्योगिक नीति 2004-09 की कालावधि दिनांक 01-11-2004 से 31-10-2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निवेशकों को सम्पूर्ण राज्य में और सामान्य वर्ग/अनिवासी भारतीय तथा शत-प्रतिशत एफडीआई वाले निवेशकों को अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में, "उपाबंध-5" में दर्शाये गये उद्यो[illegible] को छोड़कर, शेष समस्त नवीन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना पर परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की पात्रता उद्योग स्थापन [illegible]रांत होगी.

(2) औद्योगिक इकाईयों को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनां[illegible] पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा. निर्धारित कालावधि के पश्चात् किये गये आवेदनों पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

(3) भारत शासन/राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगम/मंडल/संस्था/बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित उद्योगों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

(4) उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से योजना की कालावधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी.

(5) उद्योग स्थापित होने के उपरांत ही परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी.

(6) राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग या छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसल्टेंट से परियोजना प्रतिवेदन बनवाये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी.

(7) अन्य स्रोतों से अनुदान प्राप्त किये जाने पर इस अधिसूचना के अधीन पात्रता नहीं होगी.

(8) जिन औद्योगिक इकाईयों ने औद्योगिक नीति 2001-06 के अन्तर्गत दिनांक 1-11-2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हें औद्योगिक नीति 2004-2009 के अन्तर्गत इस अधिसूचना के अधीन अथवा /अधिसूचना क्रमांक एफ-14-2-03-6-11-7 दिनांक 7-6-2003 के अनुसार पात्र होने पर अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी.

(9) अधिसूचना क्रमांक एफ-20-4-2003-6-11 दिनांक 17-6-2003 द्वारा राज्य के अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों (जिला कोरिया, जिला दंतेवाड़ा तथा बिलासपुर जिले की पेण्ड्रारोड तहसील एवं मरवाही तहसील) के औद्योगिक विकास हेतु लागू विशेष प्रोत्साहन पैकेज में दिनांक 1-4-2003 को/के पश्चात् पंजीकृत लघु उद्योग/आई. ई. एम. प्राप्त उद्योग जिन्होंने दिनांक 1-11-2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हें औद्योगिक नीति 2004-2009 के अन्तर्गत इस अधिसूचना के अधीन अथवा अधिसूचना क्रमांक एफ-20-4-2003-6-11 दिनांक 17-6-2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी.

(10) "उपांबंध 5" में दर्शाए गये उद्योगों को पात्रता तभी होगी यदि औद्योगिक नीति 2001-06 की कालावधि में औद्योगिक इकाईयों ने दिनांक 1-11-2004 के पूर्व उद्योग स्थापित करने हेतु निर्धारित "प्रभावी कदम" उठा लिये हों तथा अपना उद्योग दिनांक 1-11-2004 को / के पश्चात् उद्योग स्थापित कर लिया हो साथ ही अधिसूचना क्रमांक एफ-14-2-03-6-11-7 दिनांक 7-6-2003 के अनुसार पात्र भी हो.

6. **परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एजेंसी :—**

परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु राज्य शासन वाणिज्य व उद्योग विभाग/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. द्वारा मान्यता प्राप्त "प्रोजेक्ट कन्सल्टेंटस" की सूची संधारित की जावेगी, जिसमें ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट भी सम्मिलित होंगे.

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. द्वारा मान्यता प्राप्त कंसल्टेंट/ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट से परियोजना प्रतिवेदन बनवाना, परियोजना पर ऋण उपलब्ध हो जाने की गारंटी नही हैं तथा ऋण न मिलने पर राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा ना ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय होगी.

7. **प्रक्रिया व अधिकार :—**

7.1 औद्योगिक इकाईयां को "उपाबंध 1" अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद "उपाबंध 6" में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी.

(1) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना/औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र (जो लागू हो).

(2) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण-पत्र/सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र.

(3) "उपाबंध-3" में निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से संबंधित प्रमाण पत्र.

(4) मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कन्सल्टेंट से परियोजना प्रतिवेदन देयक व भुगतान प्राप्ति की रसीद.

(5) परियोजना प्रतिवेदन की प्रति.

7.2 अनुदान संबंधी आवेदन औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा स्थायी लघु उद्योग पृंजीयन प्रमाण पत्र/उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जावेगा.

7.3 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा लघु उद्योगों के प्रकरणों में "उपाबंध 2" के अनुसार स्वत्व का परीक्षण कराकर स्वत्व के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध 4" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि में अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा.

लघु उद्योगों से भिन्न शेष औद्योगिक इकाइयों के प्रकरणों में महाप्रबंधक द्वारा अपने अभिमत के साथ प्रकरण उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर निर्णय अपर संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा लिया जायेगा. स्वत्वों का निराकरण सक्षम अधिकारी को पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिवसों में किया जावेगा.

7.4 बजट आवंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी. अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा.

7.5 बजट आवंटन उपलब्ध न होने के कारण अनुदान देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा.

8. परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की दर व मात्रा :—

क्षेत्र	दर
श्रेणी अ- सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव व कवर्धा जिलों के क्षेत्र.	परियोजना लागत का 1 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु. 1 लाख.
श्रेणी ब- अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र.	परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने हेतु कंसल्टेंट को किये गये भुगतान का 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 2 लाख.

9. परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की वसूली :—

(1) यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि एकमुश्त मय ब्याज, वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू-राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी. ब्याज की दर, वसूली आदेश पारित करने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी. एल. आर. से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली होने तक ब्याज देय होगा.

(2) अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि परियोजना प्रतिवेदन अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात् भविष्य में नियमानुसार नहीं पाये जाने पर अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं वसूली आदेश जारी कर सकें.

(3) औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 5 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी/अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी.

10. **अपील/वाद :—**

1. महाप्रबंधक द्वारा जारी निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को एवं अपर संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा जारी निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध उद्योग आयुक्त को आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपील की जा सकेगी.

अपील प्राधिकारी को अपील करने में हुये विलंब और अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर शिथिल करने का अधिकार होगा. अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी औद्योगिक इकाई को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा.

2. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई के लिये बंधनकारी होगा.

3. इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा.

11. **स्वप्रेरणा से निर्णय :—**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/उद्योग आयुक्त किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा.

12. **कार्यकारी निर्देश :—**

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगे.

13. **योजना का क्रियान्वयन :—**

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा.

इस अधिसूचना हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू. ओ. नोट क्रमांक 824 दिनांक 27-05-2005 द्वारा स्वीकृति दी गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

उपाबंध - 1

(नियम 7.1)

(छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम-2004 के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1. औद्योगिक इकाई का नाम-व पता
2. स्वामित्व का स्वरूप—
3. फैक्ट्री स्थल—
   स्थान
   विकास खंड
   जिला
4. स्थायी लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक
5. उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक
6. स्थायी पूंजी निवेश (रु. लाखों में)
7. परियोजना प्रतिवेदन संबंधी जानकारी—
   अ- मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसल्टेंट का नाम व पता तथा मान्यता क्रमांक—
   जिससे परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है.
   ब- कंसल्टेंट को भुगतान की गयी राशि
   स- क्लेम राशि
   द- कंसल्टेंट द्वारा दर्शाई गई परियोजना लागत
8. रोजगार

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अकुशल वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			
2.	कुशल वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			
3.	पर्यवेक्षकीय वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			
4.	प्रबंधकीय वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			

स्थान :

दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

घोषणा-पत्र

मैं .... आत्मज .... प्रबंध संचालक/संचालक/एकल स्वामी/ साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री .... में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक .... है निम्नानुसार घोषणा करता हूं.

1. उपरोक्त पंजीकरण/प्रमाण पत्र के द्वारा पंजीकृत स्थापित उद्योग हेतु मैंने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो. द्वारा मान्यता प्राप्त कंसल्टेंट .... से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाया है व इसका रुपये .... (अक्षरों में) रु. .... का भुगतान किया गया है.

2. मैंने उपरोक्तानुसार स्थापित उद्योग हेतु भारत शासन/राज्य शासन के किन्हीं विभागों/वित्तीय संस्थाओं से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से संबंधित कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है व न ही आवेदन दिया है. भविष्य में यदि आवेदन दिया जाता है अथवा अनुदान की राशि प्राप्त होती है तो इसकी जानकारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी को दी जावेगी.

3. उपरोक्त जानकारी गलत होने/तथ्यों को छुपाया पाये जाने/जानकारी नहीं दिये जाने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/अपर संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा यदि परियोजना प्रतिवेदन अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि की वापिसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय ब्याज वापिस की जावेगी.

स्थान : अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक : नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

उपाबंध - 2
(नियम 7.3)
निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता
2. स्वामित्व का स्वरूप—
3. फैक्ट्री स्थल—
   स्थान
   विकास खंड
   जिला
4. स्थायी लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक
5. उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक
6. स्थायी पूंजी निवेश (रु. लाखों में)
7. परियोजना प्रतिवेदन संबंधी व्यय—
   अ- मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसल्टेंट का नाम व पता तथा मान्यता क्रमांक— जिससे परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है.
   ब- कंसल्टेंट को भुगतान की गयी राशि
   स- क्लेम राशि
   द- कंसल्टेंट द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाई गई परियोजना लागत
8. उद्योग वर्तमान में चालू/बंद है
9. रोजगार संबंधी टीप

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
		औ. इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ. इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1.	अकुशल वर्ग					
	अ					
	ब					
	स					
2.	कुशल वर्ग					
	अ					
	ब					
	स					
3.	पर्यवेक्षकीय वर्ग					
	अ					
	ब					
	स					
4.	प्रबंधकीय वर्ग					
	अ					
	ब					
	स					
	योग-					

3. औद्योगिक इकाई द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में हुये . . . . व्यय राशि में . . . . .रु. मान्य है व अमान्य की गई राशि रु. . . . . है जिसके कारण निम्नानुसार है :—

1–

2–

3–

4–

4. अभिमत / अनुदान राशि की अनुशंसा

स्थान : निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक : नाम

पद

प्रारूप

उपाबंध–3

[नियम 7.1 (3)]

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण-पत्र)

(लेटर हैड पर)

1. औद्योगिक इकाई . . . . जिसका पंजीकृत पता . . . . है व फैक्ट्री . . . . में स्थित है व जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक . . . . है, ने परियोजना प्रतिवेदन, कन्सल्टेन्ट . . . . से तैयार करवाया है जिस पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक . . . . तक किया गया व्यय रुपये . . . . (अक्षरों में) . . . . निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है.

क्र. (1)	विवरण परियोजना प्रतिवेदन का प्रकार एवं तैयार करने पर किये गये व्यय का विवरण (2)	प्रोजेक्ट कंसलटेंट का नाम व पता जिसमें परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया (3)	प्रतिवेदन तैयार कराने पर हुए व्यय की राशि (4)	वास्तविक भुगतान की गयी राशि (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
योग				

स्थान :

दिनांक :

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम . पता

सील

हस्ताक्षर

सदस्यता क्रमांक

प्रारूप

उपाबंध-4

(नियम 7.3)

छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004 के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृति आदेश जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उद्योग संचालनालय

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004 के नियम क्रमांक "7.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार परियोजना प्रतिवेदन अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा जारी की जाती है.

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2. उद्योग का स्वरूप (नवीन/विस्तार)

3. उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता-

4. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

5. औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल-
   (स्थान, विकास खंड व जिला)

6. परियोजना प्रतिवेदन पर किया गया अनुमोदित व्यय-

7. स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

8. यह राशि वित्तीय वर्ष-के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी

   मांग संख्या - 11
   2852- उद्योग (80)- सामान्य (800) अन्य व्यय
   0101- राज्य आयोजना (सामान्य)
   711- औद्योगिक तथा परियोजना सर्वेक्षणों की योजना
   13- आर्थिक सहायता
   001- प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना)

महाप्रबंध/अपर संचालक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उद्योग संचालनालय
छत्तीसगढ़

उपाबंध-5

[(नियम 5 (1)]

(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रूट बनाना.
(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रक्रिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).
(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां.
(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).
(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).
(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर).
(7) हालर मिल.
(8) बुक वाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना.
(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राफ्ट को छोड़कर).
(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर).
(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रक्रिया से ईंट निर्माण को छोड़कर).
(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क).
(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण.
(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल.
(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).
(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण.
(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर).
(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क.
(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना.
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण.
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स.
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).
(24) फोटो लेबोरिटीज.
(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट को छोड़कर)
(26) सभी प्रकार के कूलर.
(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग.
(28) रबर स्टाम्प बनाना.
(29) बारदाना मरम्मत.
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच. डी. पी. ई. को छोड़कर).
(31) लेदर टेनरी.
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़कर).
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाएं.

उपाबंध-6
(नियम 7.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला ....

मेसर्स .... पता .... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2004 .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक .... (अक्षरी)...................... को प्राप्त हुआ है. प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है. भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें.

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी /प्राधिकृत प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स.............................
....
....

रायपुर, दिनांक 21 जून 2005

क्रमांक एफ-20-95/04/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा 1 नवम्बर 2004 से प्रभावी ''छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम 2004'' निम्नानुसार लागू करता है.

1. **परिचय :—**

राज्य शासन द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, गुणवत्ता एवं उत्पादकता में विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने, उद्योग में नवीन तकनीकी पद्धतियों/प्रणालियों को अपनाने हेतु ''प्रौद्योगिकी प्रोन्नति योजना'' का विस्तार किया गया है. इस योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष से राज्य की विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैंक से लिये गए सावधि ऋण के विरुद्ध ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी.

2. **नियम :—**

ये नियम ''छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम 2004'' कहे जावेंगे.

3. **प्रभावशील तिथि :—**

ये नियम दिनांक 1-11-2004 से प्रभावशील होंगे.

4. **परिभाषाएं :—**

(1) इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग इकाई, मध्यम-वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट, अति वृहद उद्योग, विद्यमान औद्योगिक इकाई, विशेष थ्रस्ट उद्योग, सामान्य उद्योग, अपात्र उद्योग, सावधि ऋण, अनिवासी भारतीय, शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक व प्रशासकीय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों तथा ''राज्य के मूल निवासी'' की वही परिभाषाएं होगी जो ''छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना-स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004'' में उल्लेखित है.

(2) **सावधि ऋण :—**
सावधि ऋण से आशय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित बैंक/वित्त निगम/छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. या अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम/अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, अखिल भारतीय वित्त संस्थान/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/नागरिक सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत व वितरित सावधि ऋर्ण या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से भाड़ा क्रय योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गयी मशीनरी का क्रय मूल्य.

(3) **तकनीकी प्रोन्नति :—**

तकनीकी प्रोन्नति से आशय है स्थापित मशीनों में कुछ जोड़कर या स्थापित मशीनों के स्थान पर नवीन तकनीकी वाली ऐसी मशीनों की स्थापना करना जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हो या उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो या निर्मित उत्पाद की लागत में कमी आये या अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता हो.

5. **पात्रता :—**

5.1 औद्योगिक नीति 2004-09 के लागू होने के दिनांक 01-11-2004 के पूर्व दिनांक 31-10-2004 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विद्यमान कार्यरत तथा बंद औद्योगिक इकाईयों को, (''उपाबंध 4'' में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर) जिन्होंने पूर्व में उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु ऋण नहीं लिया है, इस अधिसूचना के अधीन अनुदान की पात्रता होगी.

5.2 औद्योगिक इकाईयों को पात्रता तभी होगी जब ''तकनीकी प्रोन्नति'' की आवश्यकता के निर्धारण हेतु गठित समिति यह अनुशंसा करती है कि विद्यमान औद्योगिक इकाई को बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार या उत्पादकता में वृद्धि अथवा स्थापित मशीनों की कार्य क्षमता/उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु उद्योग में तकनीकी प्रोन्नति की जाना आवश्यक है.

5.3 भारत शासन/राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगमों/मंडलों/संस्थाओं/बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित उद्योगों को इस अधिसूचना के अधीन पात्रता नहीं होगी.

5.4 यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पात्रता अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो.

5.5 ब्याज अनुदान का प्रथम स्वत्व इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण के वितरण के प्रथम दिनांक से एक वर्ष के भीतर पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है.

5.6 तकनीकी प्रोन्नति हेतु ब्याज अनुदान की रियायत यदि भारत शासन/राज्य शासन या राज्य शासन के किसी अन्य विभाग निगम/बोर्ड/मंडल से प्राप्त की गयी हो तो इस अधिसूचना के अन्तर्गत पात्रता नहीं होगी.

5.7 उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु केवल एक बार ही अनुदान की पात्रता होगी.

5.8 औद्योगिक नीति 2001-06 के अन्तर्गत विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को अधिसूचना क्रमांक एफ-14-2-03-6-11-9 दिनांक 7-6-2003 के प्रावधानों के अनुसार ही पात्रता होगी.

6. प्रक्रिया :—

इस योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरणों की प्रक्रिया दो चरणों में होगी-

1. तकनीकी प्रोन्नति योजना का प्रस्तुतीकरण व स्वीकृति

2. प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष से ब्याज अनुदान हेतु क्लेम

6.1 तकनीकी प्रोन्नति योजना का प्रस्तुतीकरण व स्वीकृति

(1) पात्र विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को प्रथमतः अपनी प्रस्तावित "तकनीकी प्रोन्नति योजना" के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक आवेदन देना होगा, योजना के प्रथम भाग में विद्यमान औद्योगिक इकाई की पूर्ण स्थिति यथा भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी (प्रयोगशाला, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरणों सहित) उत्पादन क्षमता व (वास्तविक उत्पादन मात्रा एवं मूल्य) विद्युत संयोजन व नियोजित कुशल, अकुशल तथा प्रशासकीय कर्मचारियों की संख्या व उत्पादन प्रक्रिया का उल्लेख होगा.

योजना के द्वितीय भाग में तकनीकी प्रोन्नतिकी आवश्यकता के संबंध में विस्तृत टीप, जिसमें तकनीकी प्रोन्नति हेतु किये जाने वाले कार्यों, सुधारों का विवरण व उसमें प्रस्तावित निवेश की जानकारी मदवार मात्रा एवं मूल्य में दी जावेगी.

योजना के अंतिम भाग में तकनीकी प्रोन्नति योजना पूर्ण होने के उपरांत उद्योग में होने वाले परिणामों यथा उत्पादन में वृद्धि, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि, मशीनों की क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि, विद्युत उपभोग में कमी, श्रमिकों में कमी आदि का विवरण दर्शाया जावेगा.

(2) औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत योजना को महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, द्वारा यथा स्थिति जिला स्तरीय समिति में रखा जावेगा/उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जायेगा.

(3) जिला स्तरीय समिति, लघु औद्योगिक इकाईयों के मामलों में तथा राज्य स्तरीय समिति लघु औद्योगिक इकाईयों से भिन्न औद्योगिक इकाईयों के प्रकरणों का निराकरण करेगी. समिति की अनुशंसा उपरांत सदस्य सचिव द्वारा "तकनीकी प्रोन्नति की आवश्यकता बाबत पात्रता प्रमाण- पत्र" जारी किया जावेगा, यदि समिति द्वारा योजना अस्वीकृत की जाती है तो निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा जिसमें निरस्तीकरण का कारण एवं निर्धारित अवधि में राज्य स्तरीय समिति को अपील कर सकने का उल्लेख होगा.

(4) औद्योगिक इकाई द्वारा उद्योग में तकनीकी प्रोन्नति योजनानुसार कार्य पूर्ण करने की सूचना देने पर महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत तकनीकी प्रोन्नति योजना की पूर्णता विषयक प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा. महाप्रबंधक द्वारा स्थल निरीक्षण के कार्य में तकनीकी विशेषज्ञों, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के वैज्ञानिकों/यंत्रियों की सहायता आवश्यकता अनुसार ली जा सकेगी.

अ—जिला स्तरीय समिति

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	संयुक्त संचालक उद्योग	उपाध्यक्ष
3	लघु उद्योग सेवा संस्थान के नामांकित अधिकारी	सदस्य
4	लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
5	संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान/निगम जिनके द्वारा तकनीकी प्रोन्नति हेतु ऋण स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित किया हो/ स्वीकृत किया हो के प्रतिनिधि.	सदस्य
6	शासकीय अभियांत्रिकी/पोलीटेक्नीक महाविद्यालय के नामांकित प्राध्यापक.	सदस्य
7	छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के नामांकित वैज्ञानिक/यंत्री	सदस्य
8	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

ब—राज्य स्तरीय समिति

1	उद्योग आयुक्त	अध्यक्ष
2	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि. या उनका नाम निर्देशिती (जो कार्यपालक संचालक स्तर से कम न हो)	सदस्य
3	संचालक, लघु उद्योग सेवा संस्थान या उनके नामांकित अधिकारी	सदस्य
4	महाप्रबंध/उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, रायपुर या उनके नाम निर्देशिती.	सदस्य
5	प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर अथवा उनके नाम निर्देशिती.	सदस्य
6	छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के नामांकित वैज्ञानिक/यंत्री	सदस्य
7	अपर संचालक उद्योग संचालनालय	सदस्य सचिव

समिति की गणपूर्ति 4 से होगी व समिति के अनुक्रमांक 3, 5 व 6 पर उल्लेखित सदस्यों में से किसी एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

(5) समिति आवश्यकता होने पर विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञ संस्था को सहयोजित कर सकेगी. तकनीकी प्रोन्नति की आवश्यकता के संबंध में समिति सामूहिक रूप से दायी होगी, इसका उत्तरदायी सदस्य सचिव अकेला नहीं होगा.

(एक) समिति सामान्यत: अपनी बैठकें 3 माह में एक बार करेगी, किन्तु लंबित आवेदनों की संख्या की दृष्टि से बैठक बार-बार बुलाई जा सकेगी. समिति प्रत्येक मामले पर विचार करने के पश्चात् पात्रता प्रमाण पत्र मंजूर करने या उसके लिये किया गया आवेदन खारिज करने या अतिरिक्त जानकारी मंगवाने का विनिश्चय कर सकेगी.

(दो) समिति द्वारा, आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा.

6.2 प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष से ब्याज अनुदान हेतु क्लेम-

पात्र औद्योगिक इकाईयों को तकनीकी प्रोन्नति योजना की स्वीकृति व अपने उद्योग में इस योजना के लागू होने के उपरांत ''उपाबंध 1'' के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में जो वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित हो, निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद कार्यालय द्वारा उपाबंध-5 पर निर्धारित प्रारूप में दी जावेगी.

(1) ज़िला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना/औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र (जो लागू हो).

(2) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र.

(3) तकनीकी प्रोन्नति योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति पत्र सिर्फ (पहले त्रैमास/छै: मास के आवेदन के साथ), उसके पश्चात् स्वीकृति पत्र में संशोधन/परिवर्तन होने पर संबंधित त्रैमास में संशोधित ऋण स्वीकृति पत्र.

(4) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि संबंधित त्रैमास/छै:मास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा औद्योगिक इकाई किसी भी रूप में "ऋण न चुकाने वाला" नहीं है या यदि ऋण के भुगतान हेतु स्थगन दिया हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थगन प्रमाण पत्र.

(5) उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये पात्रता प्रमाण पत्र की प्रति.

6.3 औद्योगिक इकाई द्वारा ब्याज अनुदान संबंधी आवेदन ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से यथास्थिति त्रैमासिक/छै:माही आधार पर संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जावेगा.

6.4 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्वत्वों का परीक्षण "उपाबंध 2" के अनुसार निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम प्रबंधक स्तर के अधिकारी से करवाकर स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर लघु उद्योगों के प्रकरणों में "उपाबंध 3" में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार पात्र न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने पर निर्धारित कालावधि में अपर संचालक उद्योग को निर्धारित अवधि में अपील कर सकने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा.

मध्यम-वृहद उद्योगों के प्रकरणों में अपने अभिमत के साथ आवेदन पत्र सत्यापित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत होने के 15 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर निर्णय उद्योग आयुक्त द्वारा लिया जावेगा. उद्योग आयुक्त द्वारा भी प्रकरण की स्वीकृति व निरस्तीकरण के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी. स्वत्वों का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 60 दिवसों में किया जावेगा.

6.5 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा, बजट आवंटन उपलब्ध होने पर ही संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जावेगी जो संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा की जावेगी. अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी.

6.6 अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जावेगा.

6.7 बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान वितरण करने में होने वाले विलंब का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा.

7. प्रौद्योगिकी प्रोन्नति हेतु ब्याज अनुदान की मात्रा :—

तकनीकी प्रोन्नति हेतु पात्र औद्योगिक इकाईयों को जिला/राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरांत बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा, दिये गये सावधि ऋण पर प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष से निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा-

क—लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव व कवर्धा जिलों के क्षेत्र.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)-अधीकतम सीमा रु. 5 लाख वार्षिक.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)-अधिकतम सीमा रु. 12.5 लाख वार्षिक.

श्रेणी ब- अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र- बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)- अधीकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)- अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक.

ख—मध्यम-वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ- सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव व कवर्धा जिलों के क्षेत्र.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)- अधीकतम सीमा रु. 12.5 लाख वार्षिक.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)- अधिकतम सीमा रु. 12.5 लाख वार्षिक.
श्रेणी ब- अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र - बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)- अधीकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)- अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक.

ग—मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ- सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव व कवर्धा जिलों के क्षेत्र.	निरंक	निरंक
श्रेणी ब- अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र - बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)- अधीकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)- अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक.

घ—रुपये 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले अति वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ- सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव व कवर्धा जिलों के क्षेत्र.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)- अधीकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)- अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक.
श्रेणी ब- अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र - बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)- अधीकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक.	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशकों को 45 प्रतिशत)- अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक.

7.1 अनुदान की कालावधि तकनीकी प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से प्रारंभ होगी.

7.2 अनुदान केवल मूल ब्याज के भुगतान के विरुद्ध देय होगा अर्थात् विलंब शुल्क, शास्ति या अन्य किसी अतिरिक्त देय राशि पर अनुदान प्राप्त नहीं होगा.

7.3 यदि किसी त्रैमास (छै: मास) में समय पर ब्याज या मूलधन की किश्त न पटाने या अन्य किसी कारण से ऋणी को संबंधित वित्त पोषित संस्था द्वारा "ऋण न चुकाने वाला" माना जाता है तो उस त्रैमास (छै: मास) के लिये ब्याज अनुदान की पात्रता समाप्त हो जायेंगी भले ही आगामी त्रैमासों/छै: मासों में पूर्व के त्रैमास/छै: मास के डिफाल्ट को दूर कर लिया जाए, इस संबंध में वित्त पोषक संस्था को प्रत्येक त्रैमास /छै: मास में प्रमाण पत्र देना होगा.

8. ब्याज अनुदान की वसूली :—

8.1 ब्याज अनुदान की राशि औद्योगिकी इकाई के ऋण खाते में जमा हो जाने के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई/बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय ब्याज के, एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी जिसकी वसूली संबंधित औद्योगिक इकाई/बैंक या दोनों से भू-राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी. ब्याज की राशि, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी. एल. आर. पर 2 प्रतिशत जोड़ कर तदनुसार वसूली के दिनांक तक के लिये निकाली जायेगी तथा देय होगी.

8.2 उद्योग आयुक्त/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि ब्याज अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार नहीं पाये जाने पर ब्याज अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सके एवं तदनुसार वसूली आदेश पारित कर सकें तथा यदि ब्याज अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को प्रेषित कर दी गई है तो वापस प्राप्त कर सकें.

8.3 औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में स्वत्व की अवधि में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्र. 5.4 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो ऐसी अवधि के लिये अनुदान की राशि, यदि की जा चुकी हो, संबंधित क्लेम को निरस्त कर, वापस प्राप्त की जा सकेगी/भविष्य के स्वत्वों में समायोजित की जा सकेगी.

9. **अपील /वाद :—**

1. महाप्रबंधक द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को एवं उद्योग आयुक्त द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर अपील की जा सकेगी.

अपील प्राधिकारी को अपील करने एवं आवेदन में हुये विलंब को प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर शिथिल करने का अधिकार होगा. अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा.

2. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई तथा वित्तीय संस्था/बैंक के लिये बंधनकारी होगा.

3. इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा.

10. **स्वप्रेरणा से निर्णय :—**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/उद्योग आयुक्त किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा.

11. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगे.

12. प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष के गठन के संबंध में पृथक से शासनादेश जारी किये जावेंगे.

13. **योजना का क्रियान्वयन :—**

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा.

इस अधिसूचना हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू. ओ. नोट क्रमांक 836 दिनांक 30-05-2005 द्वारा स्वीकृति दी गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

"उपाबंध 1"

(नियम 6.2)

"छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम-2004" के अन्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु आवेदन पत्र

पात्रता अवधि .... से .... तक   क्लेम अवधि .... से .... तक

क्र.	1. औ. इकाई का नाम व पता 2. उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता 3. स्थायी लघु उद्योग पंजी./वा. उत्पा. प्रमाण पत्र क्र. व दिनांक. 4. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 5. ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	तकनीकी प्रौन्नति की आवश्यकता संबंधी पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक व दिनांक	ऋण का विवरण				
			स्वीकृति			वितरित	
			ऋण का स्वरूप	स्वीकृत राशि	दिनांक	कुल वितरित राशि	दिनांक तक
			अ सावधि ऋण				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

पूर्व मान्य क्लेम तक भुगतान किये गये ब्याज अनुदान का विवरण		वित्त पोषित संस्था को देय राशि का विवरण			औ. इकाई द्वारा भुगतान की गयी राशि जिस पर ब्याज अनुदान का क्लेम किया गया है			क्लेम किये गये ब्याज अनुदान का विवरण	
			राशि	दिनांक					
अवधि	प्राप्त किये गये ब्याज अनुदान की राशि	1- मूलधन (किश्त) सावधि ऋण. 2-ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर योग			1- मूलधन (किश्त) सावधि ऋण योग 2- ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर योग	राशि	दिनांक	भुगतान किये गये ब्याज की राशि का अनुदान	ब्याज अनुदान क्लेम राशि
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	अकुशल वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			
2.	कुशल वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			
3.	पर्यवेक्षकीय वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			
4.	प्रबंधकीय वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			

घोषणा-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व वित्तीय संस्था/बैंक को देय अवधि . . . . में देय मूलधन/ब्याज की किश्त का भुगतान नियमित रूप से किया गया है.

2. उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वापसी के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय ब्याज के 15 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी.

3. वित्तीय संस्था/बैंक से उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु लिये गये ऋण का उपयोग निम्नानुसार किया गया है.

अ-
ब-
स-

(टीप :- मूलधन/ब्याज की किश्त के भुगतान हेतु यदि स्थगन दिया गया है तो तत्संबधी प्रमाणन का भी उल्लेख किया जावे).

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

वित्तीय संस्था के अधिकृत व्यक्ति
हस्ताक्षर
नाम
पद
वित्तीय संस्था का नाम व पता

"उपाबंध 2"
(नियम 6.4)

निरीक्षण टीप

1. औद्योगिक इकाई . . . . .के छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति नियम 2004 के अन्तर्गत ब्याज अनुदान क्लेम अवधि. . . . . के संबंध में औद्योगिक इकाई का स्थल निरीक्षण किया गया. इकाई में उत्पादन चालू/बंद है.

2. औद्योगिक इकाई में वर्तमान में नियोजित रोजगार की निम्न स्थिति है-

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
		औ. इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ. इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1.	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स					
2.	कुशल वर्ग अ .... ब .... स					
3.	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... व .... स					
4.	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स					
	योग-					

3. औद्योगिक इकाई द्वारा उद्योग में की गयी तकनीकी प्रोन्नति का मशीनों की कार्य क्षमता/उत्पादन लागत/श्रम नियोजन पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ा है-
अ-
ब-
स-

4. अनुशंसा / अभिमत

हस्ताक्षर
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पद

"उपाबंध 3"

(नियम 6.4)

प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष से ब्याज अनुदान हेतु स्वीकृति आदेश उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक . . . . दिनांक . . . . द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम 2004 के नियम क्रमांक "6.4" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार ब्याज अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा जारी की जाती है.

क्र.	औ. इकाई का नाम व पता	उत्पाद व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	वित्तीय संस्था/बैंक जो औ. इकाई का वित्त पोषक है	ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि व अधिकतम राशि	स्वीकृति आदेश के पूर्व वितरित राशि-अवधि . . . . तक	स्वीकृत स्वत्व	
							अवधि	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

2. यह राशि वित्तीय वर्ष . . . . के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी

मांग संख्या - 11

2852- उद्योग (80)- सामान्य (800) अन्य व्यय

0101- राज्य आयोजना (सामान्य)

5448- प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष की स्थापना

13- आर्थिक सहायता

001- प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना)

उद्योग आयुक्त/महाप्रबंध
उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
छत्तीसगढ़

"उपाबंध-4"
(नियम 5.1)

(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रूट बनाना.
(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रक्रिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).
(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां.
(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).
(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).
(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर).
(7) हालर मिल.
(8) बुक वाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना.
(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राफ्ट को छोड़कर).
(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर).
(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रक्रिया से ईंट निर्माण को छोड़कर).
(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क).
(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण.
(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल.
(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).
(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण.
(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर).
(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क.
(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना.
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण.
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स.
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्ड प्रोडक्ट्स को छोड़कर).
(24) फोटो लेबोरिटीज.
(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट को छोड़कर)
(26) सभी प्रकार के कूलर.
(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग.
(28) रबर स्टाम्प बनाना.
(29) बारदाना मरम्मत.
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच. डी. पी. ई. को छोड़कर).
(31) लेदर टेनरी.
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़कर).
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाएं.

"उपाबंध-5"

(नियम 6.2)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला . . . .

मेसर्स . . . . पता . . . . द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम 2004 . . . . के अन्तर्गत आवेदन दिनांक . . . . (अक्षरी) . . . . को प्राप्त हुआ है. प्रकरण का पंजीयन क्रमांक . . . . है. भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें.

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी /प्राधिकृत प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स. . . . .

. . . .

. . . .

रायपुर, दिनांक 21 जून 2005

क्रमांक एफ-20-95/04/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा 1 नवम्बर 2004 से प्रभावी ''छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004'' निम्नानुसार लागू करता है.

1. **परिचय :—**

गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान योजना (आई. एस. ओ. - 9000, आई. एस. ओ.-14000, आई. एस. ओ.-18000 या समान राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण) के क्रियान्वयन हेतु ''छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004'' बनाये गये हैं जो सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 01-11-2004 से प्रभावशील माने जावेंगे.

2. **परिभाषाएं :—**

इस योजना के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई, मध्यम-वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट, अति वृहद उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अनिवासी भारतीय, शत प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशक, ''कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी '' तथा ''राज्य के मूल निवासी'' की वही परिभाषाएं होगी जो छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना-स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004 में दी गई हैं.

3. **पात्रता :—**

(1) औद्योगिक नीति 2004-09 की कालावधि दिनांक 01-11-2004 से 31-10-2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले राज्य में स्थापित समस्त नवीन औद्योगिक इकाईयों को ''गुणवत्ता प्रमाणीकरण'' के तहत आई. एस. ओ.-9000, आई. एस. ओ.-14000, आई. एस. ओ.-18000 या समान राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर अनुदान की पात्रता होगी.

(2) औद्योगिक इकाईयों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के दिनांक/अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्‌वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा, निर्धारित कालावधि के पश्चात् किये गये आवेदन पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

(3) भारत शासन/राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगम/मंडल/संस्था/बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित उद्योगों को इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

(4) उद्योग में गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के दिनांक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से जो पश्चात्‌वर्ती हो. योजना की कालावधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी.

(5) औद्योगिक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अथवा किसी अन्य मंत्रालय/वित्तीय संस्था से गुणवत्ता प्रमाणीकरण के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया हो, तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत पात्रता नहीं होगी.

(6) गुणवत्ता प्रमाणीकरण में सम्मिलित समस्त प्रमाणीकरण प्रमाण पत्रों पर पृथक-पृथक अनुदान की पात्रता होगी.

(7) जिन उद्योगों ने औद्योगिक नीति 2001-06 के अन्तर्गत दिनांक 1-11-2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु ''प्रभावी कदम'' उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हें औद्योगिक नीति 2004-2009 के अन्तर्गत इस अधिसूचना के अधीन अथवा/औद्योगिक नीति 2001-06 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-14-2-03-6-11-5 दिनांक 7-6-2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी.

4. अनुदान की मात्रा :—

औद्योगिक इकाई द्वारा आई. एस. ओ.-9000, आई. एस. ओ.-14000, आई. एस. ओ.-18000 या समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय तथा, एफ. डी. आई. निवेशकों को 55 प्रतिशत) अधिकतम रुपये 75,000 (प्रत्येक प्रमाणीकरण हेतु) का अनुदान गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत उपलब्ध कराया जावेगा.

गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुए व्ययों में सम्मलित है- आवेदन शुल्क/अंकेक्षण शुल्क/निर्धारण शुल्क/वार्षिक शुल्क/लायसेंस शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, तकनीकी कन्सलटेन्सी व्यय, (यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, मोबाईल व पत्राचार व्यय का समावेश पात्र व्ययों की गणना में नहीं किया जावेगा).

5. प्रक्रिया व अधिकार :—

5.1 औद्योगिक इकाईयों को उपाबंध-1 अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद उपाबंध-5 में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जावेगी.

(1) वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना/औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र (जो लागू हो).

(2) वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र.

(3) उपाबंध-2 में निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से संबंधित प्रमाण पत्र.

(4) गुणवत्ता प्रमाणीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र-आई. एस. ओ. 9000/आई. एस. ओ. 14000/ आई. एस. ओ. 18000 या अन्य समान राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण के समतुल्य प्रमाण पत्र की प्रति.

5.2 औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

5.3 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा, प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण "उपाबंध-3" के अनुसार कराकर "स्वत्व" के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध-4" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के "निरस्तीकरण" का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि में अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा.

स्वत्वों का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिवसों में किया जावेगा.

5.4 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आवंटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी. अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा.

5.5 बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान राशि देने में होने वाले विलंब का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा.

6. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की वसूली :—

6.1 यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि मय ब्याज, एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू-राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी. ब्याज की दर, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी. एल. आर. से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली के दिनांक तक ब्याज देय होगा.

6.2 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार नहीं पाये जाने पर ब्याज अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं वसूली आदेश जारी कर सकें.

6.3 औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 3 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी.

7. **अपील /वाद :—**

1. महाप्रबंधक द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर अपील की जा सकेगी.

अपील प्राधिकारी को अपील करने में हुये विलंब और अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को प्रकरण के गुण-दोष के आधर पर शिथिल करने का अधिकार भी होगा. अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी औद्योगिक इकाई को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा.

2. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य किसी विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई के लिये बंधनकारी होगा.

3. इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा.

8. **स्वप्रेरणा से निर्णय :—**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/उद्योग आयुक्त किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा.

9. **कार्यकारी निर्देश :—**

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगे.

10. **योजना का क्रियान्वयवन :—**

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा.

इस अधिसूचना हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू. ओ. नोट क्रमांक 822 दिनांक 27-05-2005 द्वारा स्वीकृति दी गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

"उपाबंध-1"

(नियम 5.1)

(छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004 के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता-
   दूरभाष— मोबाईल— फैक्स—
2. फैक्ट्री स्थल—
   स्थान—
   विकास खंड—
   जिला—
3. स्थायी लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक—
4. उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक—
5. स्थायी पूंजी निवेश (रु. लाखों में)—
6. गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने संबंधी विवरण—
7. गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर किया गया व्यय—
8. क्लेम राशि
9. रोजगार

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अकुशल वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			
2.	कुशल वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			
3.	पर्यवेक्षकीय वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			
4.	प्रबंधकीय वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			

स्थान :
दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

घोषणा-पत्र

मैं . . . . आत्मज . . . . प्रबंध संचालक/संचालक/एकल स्वामी/ साझेदार,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई . . . . जिसका पंजीकृत पता . . . .

. . . . है व फैक्ट्री . . . . में स्थित है, व स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक/वाणिज्यिक

उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक . . . . है, निम्नानुसार घोषणा करता हूं.

1. औद्योगिक इकाई द्वारा आई. एस. ओ.-9000/आई. एस. ओ.-14000/आई. एस. ओ.-18000 या. प्रमाणीकरण प्राप्त किया है.

2. औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/वित्तीय संस्थानों की किसी योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान प्राप्त नहीं किया है.

या

आई. एस. ओ.—9000/ आई. एस. ओ.—14000/ आई. एस. ओ.—18000 या . . . . प्रमाणीकरण प्राप्त करने उपरांत भारत सरकार . . . ./वित्तीय संस्थाओं से रु.. . . . . अनुदान के रूप में प्राप्त किये हैं.

3. आई. एस. ओ.—9000/ आई. एस. ओ.—14000/ आई. एस. ओ.—18000 या अन्य प्रमाणीकरण प्राप्त उपरांत भारत सरकार/वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है.

या

आई. एस. ओ.—9000/ आई. एस. ओ.—14000/ आई. एस. ओ.—18000 या अन्य प्रमाणीकरण प्राप्त उपरांत भारत सरकार/वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु आवेदन दिया है व भारत सरकार/वित्तीय संस्थाओं से यदि मेरे द्वारा भविष्य में अनुदान प्राप्त किया जाता है तो उसकी जानकारी महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दी जावेगी.

4. उपरोक्त जानकारी गलत होने/तथ्यों को छुपाया पाये जाने/जानकारी नहीं दिये जाने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा यदि गुणवत्ता प्रमाणीकरण स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापिसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय ब्याज वापस की जावेगी.

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

सील

प्रारूप

"उपाबंध-2"

[नियम 5.1 (3)]

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण-पत्र)

(लेटर हैड पर)

1. औद्योगिक इकाई . . . . जिसका पंजीकृत पता . . . . है व फैक्ट्री . . . . में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक . . . . है, ने गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक . . . . दिनांक . . . . प्राप्त किया है जिस पर दिनांक . . . . तक किया गया व्यय रुपये . . . . (अक्षरों में) . . . . निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है.

क्र.	विवरण गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर किया गया व्यय	प्रमाणन एजेंसी/संस्था जिसे भुगतान किया गया है	व्यय की गई राशि	भुगतान की गयी राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आवेदन शुल्क			
2.	अंकेक्षण शुल्क			
3.	वार्षिक शुल्क			
4.	लायसेंस शुल्क			
5.	प्रशिक्षण व्यय			
6.	तकनीकी कन्सलटेंसी व्यय			
7.	अन्य व्यय			
8.	निर्धारण शुल्क			
	योग			

स्थान :

दिनांक :

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता

सील

हस्ताक्षर

मेम्बरशिप क्रमांक

"उपाबंध-3"
(नियम 5.3)

निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता —
2. फैक्ट्री स्थल—
   स्थान—
   विकास खंड—
   जिला—
3. स्थायी लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक—
4. उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक—
5. स्थायी पूंजी निवेश (रु. लाखों में)—
6. गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने संबंधी विवरण—
7. उद्योग वर्तमान में चालू/बंद है.
8. रोजगार संबंधी टीप :

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
		औ. इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ. इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार.	
1.	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स					
2.	कुशल वर्ग अ .... ब .... स					
3.	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स					
4.	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स					
	योग—					

3. औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये गुणवत्ता .... पर की गई व्यय राशि .... में

रु. .... मान्य है. अमान्य की गई राशि .... है व उसके कारण निम्नानुसार है:—

1-

2-

3-

4-

4. अभिमत / अनुशंसा

स्थान :

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक :

नाम

पद

"उपाबंध-4"

(नियम 5.3)

गुणवत्ता प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004 के नियम क्रमांक "5.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान (आई. एस. 9000/ आई. एस. ओ. 14000/ आई. एस. ओ. 18000) के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा जारी की जाती है.

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2. उद्योग का स्वरूप :

3. उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता

4. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

5. औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल
(स्थान, विकास खंड व जिला)

6. गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर किया गया अनुमोदित व्यय-

7. स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

8. यह राशि वित्तीय वर्ष- के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी

मांग संख्या - 11
2852- उद्योग (80)- सामान्य (800) अन्य व्यय
0101- राज्य आयोजना (सामान्य)
(4826)-आई. एस. ओ. 9000 के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति
13-आर्थिक सहायता 001- प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना)

महाप्रबंध
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
छत्तीसगढ़

"उपाबंध-5"

(नियम 5.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला . . . .
छत्तीसगढ़

मेसर्स . . . . पता . . . . द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004 . . . . के अन्तर्गत आवेदन दिनांक . . . . (अक्षरी). . . . . को प्राप्त हुआ है. प्रकरण का पंजीयन क्रमांक . . . . है. भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें.

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकृत प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स. . . . .

. . . .

. . . .

रायपुर, दिनांक 21 जून 2005

क्रमांक एफ-20-95/04/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा 1 नवम्बर 2004 से प्रभावी ''छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004'' निम्नानुसार लागू करता है.

1. **परिचय :—**

राज्य में औद्योगिक इकाइयों को उनके पेटेन्ट व बौद्धिक संपदा के अधिकारों के प्रति जागरूक करने व पेटेन्ट पंजीकृत कराने तथा उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना लागू है.

2. **नियम :—**

''तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना'' को क्रियान्वित करने के लिये बनाये गये नियम ''छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004'' कहे जावेंगे जो दिनांक 1 नवम्बर 2004 से प्रवृत्त हुए माने जायेंगे.

3. **परिभाषाएं :—**

इस योजना के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई, मध्यम-वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट, अति वृहद उद्योग, वाणिज्य उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अनिवासी भारतीय, शत-प्रतिशत एफ. डी. आई. निवेशक, ''कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी'' तथा ''राज्य के मूल निवासी'' की वही परिभाषाएं होगी जो ''छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना- स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004'' में दी गई हैं.

4. **पात्रता :—**

(1) औद्योगिक नीति 2004-09 की कालावधि दिनांक 01-11-2004 से 31-10-2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले राज्य में स्थापित समस्त नवीन औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा उनके उत्पाद/उत्पादन प्रक्रिया के पेटेन्ट पंजीकृत कराने के उपरांत अनुदान की पात्रता होगी.

(2) औद्योगिक इकाईयों को पेटेन्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दिनांक/इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्‌वर्ती हो, से एक वर्ष की कालावधि भीतर आवेदन करना होगा. निर्धारित कालावधि के पश्चात् किये गये आवेदनों पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

(3) भारत शासन/राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगम/मंडल/संस्था/बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित उद्योगों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

(4) उद्योग में पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण प्राप्त होने के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चात्‌वर्ती हो, से योजना की कालावधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी.

(5) औद्योगिक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अन्य मंत्रालय/वित्तीय संस्थाओं से पेटेन्ट पंजीयन पर अनुदान प्राप्त किया हो, तो उन्हें इस अधिसूचना के अंतर्गत पात्रता नहीं होगी.

(6) भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों/पंजीकृत पेटेन्ट एजेंट्स के माध्यम से पेटेन्ट पंजीकृत कराने पर अनुदान की पात्रता होगी.

(7) औद्योगिक इकाई को प्रति उत्पाद/प्रक्रिया/शोध पर केवल एक बार ही अनुदान की पात्रता होगी.

(8) विकसित उत्पाद/प्रक्रिया जिसका पेटेन्ट कराया गया है का वाणिज्यिक उत्पादन/उपयोग, पेटेन्ट कराने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा ही किया जाना आवश्यक होगा.

(9) औद्योगिक नीति 2001-06 के अन्तर्गत जिन उद्यमियों ने दिनांक 1-11-2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने एवं पेटेन्ट प्राप्त करने उपरांत औद्योगिक नीति 2004-2009 के अन्तर्गत इस अधिसूचना के अधीन अथवा औद्योगिक नीति 2001-06 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-14-2-03-6-11-6 दिनांक 7-6-2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी.

5. **अनुदान की मात्रा :—**

औद्योगिक इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय नियमों/कानूनों के अंतर्गत अपने शोध कार्य/आविष्कार पर पेटेन्ट पंजीकरण प्राप्त होने के उपरांत इस हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय तथा शत-प्रतिशत एफडीआई निवेशकों को 55 प्रतिशत) अधिकतम रुपये 5 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा.

पेटेन्ट पंजीकरण प्राप्त करने में हुए व्ययों में सम्मलित है- आवेदन शुल्क/अंकेक्षण शुल्क/लायसेंस शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, तकनीकी कन्सलटेन्सी व्यय, पंजीकृत एजेंट को भुगतान किया गया कमीशन और पेटेन्ट कराये गये उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज सज्जा पर हुआ व्यय (यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, मोबाईल व पत्राचार व्यय का समावेश पात्र व्ययों की गणना में नहीं किया जावेगा).

6. **प्रक्रिया व अधिकार :—**

6.1 औद्योगिक इकाईयों को "उपाबंध 1" अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद "उपाबंध 5" में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी.

1. संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना/औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र (जो लागू हो).
2. संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र.
3. "उपाबंध-2" में निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से संबंधित प्रमाण पत्र.
4. पेटेन्ट पंजीयन/स्वीकृति प्रमाण पत्र.

6.2 अनुदान संबंधी आवेदन औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जावेगा.

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा "उपाबंध 3" में निर्धारित प्रारूप पर प्रकरण के परीक्षण करने के उपरांत "उपाबंध 4" के अनुसार "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा.

इस योजना के अन्तर्गत महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संबंधित विषय के विशेषज्ञों अथवा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् अथवा अन्य अनुसंधानकारी ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों संस्थाओं से आवश्यकतानुसार परामर्श भी ले सकेगा, पेटेन्ट से संबंधित बिन्दु तकनीकी होने के कारण अनुदान की स्वीकृति के संबंध में महाप्रबंधक दायी नहीं होगा.

प्रकरण के निरस्त होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा व इस आदेश में स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व आदेश से सहमत न होने पर अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को निरस्तीकरण आदेश के जारी होने के 30 दिवसों की अवधि में अपील किये जाने का उल्लेख होगा.

स्वत्व का निराकरण पूर्ण आवेदन के प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिवस में किया जावेगा.

6.3 बजट आवंटन उलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी. अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाईयों को "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा.

6.4 बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान राशि देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा.

7. **अनुदान की वसूली :—**

7.1 यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि मय ब्याज एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू-राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी. ब्याज की दर, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी. एल. आर. से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली के दिनांक तक ब्याज देय होगा.

7.2 महाप्रबंधक को यह अधिकार होगा कि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सके एवं यदि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई को भुगतान कर दी गई है तो वसूल कर सकें.

7.3 औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 4 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी.

7.4 पेटेन्ट पंजीकृत कराने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा यदि पेटेन्ट का विक्रय अथवा उपयोग की अनुमति अन्य औद्योगिक इकाई/व्यक्ति/संस्था को योजना की कालावधि में दी जाती है तो अनुदान की राशि ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी.

8. **अपील /वाद :—**

1. महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर अपील की जा सकेगी.

अपील प्राधिकारी को अपील करने में हुये विलंब एवं आवेदन करने में हुये विलंब को प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर शिथिल करने का अधिकार होगा. अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी औद्योगिक इकाई को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा.

2. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई के लिये बंधनकारी होगा.

3. इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा.

9. **स्वप्रेरणा से निर्णय :—**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/उद्योग आयुक्त किसी भी अभिलेख को बुला सकेगा तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वे उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा.

10. **कार्यकारी निर्देश :—**

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगे.

11. फेसिलिटेशन काउंसिल :—

औद्योगिक इकाईयों को पेटेन्ट व बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों के प्रति जागरूकता, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट के संबंध में हो रहे कार्यकलाप, व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी. एस. आई. आर.) टेक्नोंलाजी इनफरमेशन फोरकास्टींग एण्ड असिसमेन्ट काउन्सिल से सतत सम्पर्क में रह कर पेटेंट पंजीयन को प्रोत्साहित करने तथा राज्य में स्थापित उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उद्योग संचालनालय में एक "फेसिलिटेशन काउन्सिल" भी होगी जिसका प्रभारी उप संचालक/महाप्रबंधक स्तर का अधिकारी होगा.

फेसिलिटेशन काउन्सिल में तकनीकी पेटेन्ट/बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार आदि के संबंध में पूर्ण साहित्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट/बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार इत्यादि पर हो रहे परिवर्तनों की जानकारी रखी जावेगी. काउन्सिल की बैठक सामान्यत: 3 माह में एक बार होगी व फेसिलिटेशन सेल संबंधी व्यय सी. एस. आई. डी. सी. द्वारा वहन किया जावेगा.

अ- फेसिलिटेशन सेल का स्वरूप निम्नानुसार होगा-

1.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्ह. कार्पो. लि. या उनका नाम निर्देशिती (जो कार्यपालक संचालक स्तर से कम न हो).	सदस्य
3.	संचालक, लघु उद्योग सेवा संस्थान या उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	रविशंकर विश्व विद्यालय, रायपुर द्वारा नामांकित डाक्टरेट उपाधि धारक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा नामांकित डाक्टरेट उपाधि धारक प्रतिनिधि	सदस्य
6.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के नामांकित वैज्ञानिक/यंत्री	सदस्य
7.	छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
8.	छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
9.	लघु उद्योग भारती द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
10.	उद्योग आयुक्त/अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय	सदस्य सचिव

12. योजना का क्रियान्वयन :—

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा.

इस अधिसूचना हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू. ओ. नोट क्रमांक 821 दिनांक 27-05-2005 द्वारा स्वीकृति दी गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

"उपाबंध - 1"

(नियम 6.1)

("छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004" के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता-
   अ- दूरभाष—
   ब- मोबाईल—
   स- फैक्स—
2. फैक्ट्री स्थल—
   स्थान—
   विकास खंड—
   जिला—
3. स्थायी लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक—
4. उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक—
5. स्थायी पूंजी निवेश (रु. लाखों में)—
6. पेटेन्ट प्राप्त करने संबंधी विवरण व पंजीयन क्रमांक—
7. पेटेन्ट प्राप्त करने पर किया गया व्यय—
8. क्लेम राशि
9. रोजगार

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अकुशल वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			
2.	कुशल वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			
3.	पर्यवेक्षकीय वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			
4.	प्रबंधकीय वर्ग			
	अ			
	ब			
	स			

स्थान :
दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील.

घोषणा-पत्र

मैं . . . . आत्मज . . . . प्रबंध संचालक/संचालक/एकल स्वामी/ साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई . . . . जिसका पंजीकृत पता . . . . है व फैक्ट्री . . . . में स्थित है व स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक . . . . है निम्नानुसार घोषणा करता हूं-

1. औद्योगिक इकाई ने पेटेन्ट प्राप्त किया है जिसका पंजीयन क्रमांक . . . . है व इसका उपयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में ही उत्पाद निर्माण/उत्पाद प्रक्रिया में किया जा रहा है.

2. औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/वित्तीय संस्थानों की किसी योजना के तहत पेटेन्ट अनुदान प्राप्त नहीं किया है.

या

पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने उपरांत भारत सरकार . . . . /वित्तीय संस्था . . . . से रु.. . . . . अनुदान के रूप में प्राप्त किये हैं.

3. पेटेन्ट अनुदान हेतु भारत सरकार/वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है.

या

4. पेटेन्ट प्राप्त उपरांत भारत सरकार/वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु आवेदन दिया है व भारत सरकार/वित्तीय संस्था . . . . से यदि औद्योगिक इकाई द्वारा भविष्य में अनुदान प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दी जावेगी.

5. उपरोक्त जानकारी गलत होने/तथ्यों को छुपाया पाये जाने/जानकारी नहीं दिये जाने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा यदि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापिसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय ब्याज वापस की जावेगी.

स्थान : अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक : नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

सील

प्रारूप

"उपाबंध-2"

[नियम 6.1 (3)]

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण-पत्र)

(लेटर हैड़ पर)

1. औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री .... में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक .... है, ने पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक .... दिनांक .... प्राप्त किया है, जिस पर दिनांक .... तक किया गया व्यय रुपये .... (अक्षरों में) .... है निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है :

क्र.	विवरण पेटेन्ट पर किया गया व्यय	पेटेन्ट पंजीयन विभाग/पेटेन्ट एजेन्ट जिसे भुगतान किया गया है	व्यय राशि	भुगतान राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आवेदन शुल्क			
2.	अंकेक्षण शुल्क			
3.	लायसेंस शुल्क			
4.	प्रशिक्षण व्यय			
5.	तकनीकी कन्सलटेंसी व्यय			
6.	पेटेन्ट एजेन्ट कमीशन व्यय			
7.	अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज सज्जा संबंधी व्यय.			
8.	अन्य व्यय			
	योग			

स्थान :

दिनांक :

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील

हस्ताक्षर
सदस्यता क्रमांक

"उपाबंध - 3"
(नियम 6.2)

"छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004" के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान आवेदन पर निरीक्षण प्रतिवेदन व अभिमत

निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता —
   अ- दूरभाष—
   ब- मोबाईल—
   स- फैक्स—
2. फैक्ट्री स्थल—
   स्थान—
   विकास खंड—
   जिला—
3. स्थायी लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक—
4. उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक—
5. स्थायी पूंजी निवेश (रु. लाखों में)—
6. पेटेन्ट प्राप्त करने संबंधी विवरण व पंजीयन क्रमांक—
7. पेटेन्ट प्राप्त करने पर किया गया व्यय—
8. उद्योग वर्तमान में चालू/बंद है.
9. रोजगार संबंधी टीप :

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
		औ. इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ. इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1.	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स					
2.	कुशल वर्ग अ .... ब .... स					
3.	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स					
4.	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स					
	योग—					

3. औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त पेटेन्ट का प्रयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग मे निर्मित उत्पाद/उत्पादन प्रक्रिया में होने बावत टीप.

4. औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये तकनीकी पेटेन्ट अनुदान. . . . . .पर की गई व्यय राशि में . . . . रु. मान्य है. अमान्य की गई राशि व उसका कारण निम्नानुसार है:—

1–

2–

3–

4–

5. अभिमत :

स्थान :

दिनांक :

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पद

"उपाबंध-4"

(नियम 6.2)

"छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004" अंतर्गत स्वीकृति आदेश जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छत्तीसगढ़

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004 के नियम क्रमांक "6.2" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार तकनीकी पेटेन्ट अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा जारी की जाती है.

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2. उद्योग का स्वरूप :

3. उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता-

4. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

5. औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल-
   (स्थान, विकास खंड व जिला)

6. पेटेन्ट का पंजीयन क्रमांक / दिनांक / संस्था

7. पेटेन्ट पर किया गया अनुमोदित व्यय-

8. स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

9. यह राशि वित्तीय वर्ष- के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी

   मांग संख्या - 11
   2852- उद्योग (80)- सामान्य (800) अन्य व्यय
   0101- राज्य आयोजना (सामान्य)
   (5447)-तकनीकी पेटेन्ट अनुदान
   13- आर्थिक सहायता 001- प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना)

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
छत्तीसगढ़

"उपाबंध-5"

(नियम 6.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला . . . .

मेसर्स . . . . पता . . . . .द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004 . . . . .के अन्तर्गत आवेदन दिनांक . . . . (अक्षरी). . . . . को प्राप्त हुआ है. प्रकरण का पंजीयन क्रमांक . . . . है. भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें.

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकृत प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स. . . . .

. . . .

. . . .

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 28 मई 2005

क्रमांक 04/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पतराटोली प. ह. नं. 19	1.694	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय के स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 मई 2005

क्रमांक 05/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	रोकबहार प. ह. नं. 19	2.908	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय के आर.बी.सी. मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 मई 2005

क्रमांक 06/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पतराटोली प. ह. नं. 19	1.026	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	खम्पगढ़ा जलाशय के आर.बी.सी. मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक 923/ले.पा./2004/भू.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	बोरई प. ह. नं. 3	0.45	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	करेला उद्वहन सिंचाई योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 16 जून 2005

क्रमांक/628/अ.वि.अ./भू-अर्जन/20-अ/82/सन् 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	सेनभाठा प.ह.नं. 113/60	2.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ.ग.).	अपर जोंक परियोजना के सेन-भाठा माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 27 जून 2005

क्रमांक/639/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	खरोरा प.ह.नं. 140	0.92	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ.ग.).	कोडार जलाशय के माइनर क्र. 2 के निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से त आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर देन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 30 जून 2005

क्रमांक /क/6824/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	उमरेली	0.255	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	सोन सेतु का निर्माण पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/1 अ/82/ वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	खम्हरिया प. ह. नं. 16	0.053	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार.	खम्हरिया से चिचोली मार्ग

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/3 अ/82/ वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	रींवाडीह प. ह. नं. 18	1.05	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार.	भवानीपुर से रींवाडीह मार्ग

रायपुर, दिनांक 16 जून 2005

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 13-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	पंधी प. ह. नं. 148/44	0.38	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत लिंक केनाल के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2005

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 14-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	आरंग दा बुढ़ी डबरी प. ह. नं. 94/60	0.320	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव आगमेन्टेशन (व्यप-वर्तन) योजना के अंतर्गत लिंक केनाल के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 27 जून 2005

क्रमांक/क/वा.भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 15/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	गोईन्दा प. ह. नं. 148/44	12.02	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव आगमेन्टेशन (व्यप-वर्तन) योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 17 जून 2005

क्रमांक 2894/भू-अर्जन/11/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-दंतेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-गीदम, प.ह.नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	821/941 क	0.50
योग	1	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-जल-संसाधन विभाग के उपसंभाग कार्यालय एवं आवासीय भवन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 मई 2005

प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-दोमुहानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.08 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	35/5	0.15
	35/7	0.22
	35/8	0.23
	295/4	0.10
	311	0.05
	404	0.01
	413/1	0.07
	413/2	0.05
	413/3	0.12
	413/6	0.02
	413/7	0.06
योग	11	1.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 15 जून 2005

क्रमांक 1082/वा-1/भू-अर्जन/05/अ/82-98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-राजिम
- (ग) नगर/ग्राम-परसदाकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.944 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/1	0.081
16/2	0.045
17/2	0.040
18	0.077
20	0.186
22	0.057
23/2	0.045
23/5	0.032
24	0.045
26	0.024
27/1	0.032
28	0.045
29	0.045
30/1	0.045
31	0.020
32/1	0.024
36	0.069
37	0.028
38	0.004
योग	0.944

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-फिंगेश्वर उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर नाली का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2005

क्रमांक 1083/वा-1/भू-अर्जन/15/अ/82-02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-मरौदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.172 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9/1, 10	0.111
49/1 ग, 49/1 घ, 49/1 ङ, 49/1 च	0.061
योग 6	0.172

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-स्टाप डेम के बांध पार निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR

Bilaspur , the 17th December 2002

No. 6562/Confdl./2002/II-2-72/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby. grants original seniority to Shri Ashok Kumar Goyal, I Additional District Judge, Mahasamund by placing his name below the name of Smt. Ranoo Diwekar, Deputy Secretary, Law Department, Raipur and above the name of Shri Ashok Kumar Pathak, Additional District Judge, Baikunthpur in the gradation list of Judicial Officers in Higher Judicial Service of the State of Chhattisgarh in the light of resolution of the High Court of Madhya Pradesh regarding the original seniority of Shri Ashok Kumar Goyal.

Bilaspur, the 21st February 2004

No. 40/Confdl./2004/II-3-1/2004.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judge, Class-II and Judicial Magistrate First Class as specified in column no. 2 from the place shown in cloumn no. 3 in the same capacity and posts him at the place mentioned against his name in column no. 4 from the date he assumes charge of his duties :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Shri Daya Sindhu Ganveer.	Jagdalpur	Kanker	Bastar	As Civil Judge, Class-II and Judicial Magistrate First Class in the vacant Court.

By Order of the High Court,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 5th April 2004

No. 60/I-7-3/2004.—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare the 20th of April, 2004 as holiday for the High Court as well as for the Courts subordinate to this High Court on account of polling on the said date for election of new Lok Sabha and for by-election of Chhattisgarh Legislative Assembly.

Bilaspur, the 7th April 2004

No. 126/Confdl./2004/II-15-21/2000/(Pt.-III).—Pursuant to reconstitution of Fast Track Courts by the State Government vide Notification No. 566/D-4826/21-B/C.G./2004 dated 19-01-2004, the High Court of Chhattisgarh, in exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, hereby, transfers the following Presiding Officers of Fast Track Courts as specified in column no.(2) of the table below from the place shown in column no.(3) to the place shown in the column no. (4) and posts them as Additional District Judge in the Fast Track Courts. as mentioned in column no. (6) from the date they assume charge of their duties :—

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby, appoints the following Presiding Officers of the Fast Track

Courts as Additional Sessions Judge in the Sessions Division specified against their respective names in column no. (5) of the table below, viz. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri N. D. Ekka	Janjgir	Raipur	Raipur	As Xth Additional District & Sessions Judge, Fast Track Court.
2.	Shri N. K. Chandrawanshi	Korba	Bilaspur	Bilaspur	As IXth Additional District & Sessions Judge, Fast Track Court.
3.	Shri Mansukh Kerketta	Korba	Bilaspur	Bilaspur	Xth Additional District & Sessions Judge, Fast Track Court.
4.	Shri B. R. Pradhan	Mungeli	Raipur	Raipur	XIth Additional District & Sessions Judge, Fast Track Court.
5.	Shri R. S. Sharma	Bemetara	Bilaspur	Bilaspur	VIIIth Additional District & Sessions Judge, Fast Track Court.
6.	Shri V. K. Kashyap	Ambikapur	Durg	Durg	IXth Additional District & Sessions Judge, Fast Track Court.
7.	Shri T. N. H. Pancholi	Surajpur	Raipur	Raipur	XIIIth Additional District & Sessions Judge, Fast Track Court.

Bilaspur, the 7th April 2004

No. 128/Confdl./2004/II-15-66/2001.—Pursuant to declaration of Polling on 20th April 2004 for Elections of New Lok Sabha and for by-election of Chhattisgarh Legislative Assembly, the High Court of Chhattisgarh, in exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, hereby, curtails the training course by one day of 19th April 2004 of the Judicial Officers who were directed to undergo a refresher/re-orientation course of 8 days from 12th April 2004 to 19th April 2004 in Judicial Officers, Training Institute at Bilaspur vide Registry Order No. 118/ Confdl./2004 Dated 27-03-2004.

Bilaspur, the 7th April 2004

No. 134/Confdl./2004/II-15-66/2001.—After due consideration of the reasons mentioned by Shri Ramjivan Dewangan, I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon and Smt. Kiran Chaturvedi, I Civil Judge Class-II, Durg, the High Court of Chhattisgarh has been pleased to grant exemption to them from attending the refresher/re-orientation course in the Judicial Officers' Training Institute at Bilaspur scheduled to be held from 12th April 2004 to 18th April 2004.

Bilaspur, the 29th April 2004

No. 70/I-7-3/2004.—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare the Non-working Saturday Falling on 15th of May 2004, as working day for the High Court.

Bilaspur, the 30th April 2004

No. 150/Confdl./2004/II-15-66/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, directs the following Judicial Officers as specified in column no. 2 presently posted at the places specified in column no. 3 of the table below to report in the Judicial Officers' Training Institute, High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 04-05-2004 in the afternoon at 4.00 p.m. to undergo a refresher/re-orientation course of 8 days from 05-05-2004 to 12-05-2004 :—

TABLE

S. No.	Name of Judicial Officer	Presently posted as
1.	Smt. Anita Dahariya	Additional Judge to CJ.CL.I, Raigarh
2.	Smt. Suman Ekka	III Additional Judge to I CJ.CL.I, Raipur
3.	Shri Gokaran Singh Kunjam	Civil Judge Class-I, Katghora
4.	Shri Phool Singh Penkra	Additional Judge to CJ.CL.I, Bemetara
5.	Shri K. Vinod Kujur	II Civil Judge Class-I, Dhamtari
6.	Shri Rajendra Pradhan	II Civil Judge Class-I, Jagdalpur
7.	Smt. Kanta Martin	II Civil Judge Class-I, Durg
8.	Shri Anand Kumar Singhal	Additional Judge to I CJ.CL.I, Raigarh at Dharamjaigarh.
9.	Shri Ashok Kumar Lunia	Civil Judge Class-I, Gariaband
10.	Shri Suresh Kumar Soni	Additional Judge to I CJ.CL.I, Jagdalpur at Kondagaon.
11.	Shri Onkar Prasad Gupta	Civil Judge Class-I, Baloda-Bazar
12.	Shri Bhishma Prasad Pandey	V Civil Judge Class-I, Bilaspur
13.	Shri Arvind Kumar Sinha	Civil Judge Class-I, Pendra Road
14.	Shri Balindar Singh Saluja	II Civil Judge Class-I, Bilaspur
15.	Ku. Satyabhama Jaiswal	III Civil Judge Class-I, Mahasamund
16.	Shri Hemant Kumar Agrawal	Additional Judge to I CJ.CL.I, Jagdalpur at Bhanupratappur.
17.	Shri Rajnish Shrivastava	II Additional Judge to CJ.[illegible] Ambikapur
18.	Shri Amrit Karketta	I Civil Judge Class-II, Jagdalpur
19.	Shri Sajjan Lal Chakradhari	V Civil Judge Class-II, Ambikapur
20.	Shri Anestus Toppo	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur

All the above 20 Judicial Officers are also directed to bring with them the following Bare Acts:—

1. Indian Penal Code
2. Code of Criminal Procedure
3. Evidence Act
4. Code of Civil Procedure
5. Court Fees Act and Stamp Act
6. Limitation Act
7. Accommodation Control Act
8. Contract Act
9. Specific Relief Act
10. Civil Court Rules
11. Rules and Orders (Criminal)
12. Prevention of Food Adulteration Act
13. M.P. Excise Act
14. Indian Forest Act
15. Negotiable Instruments Act

Bilaspur, the 10th May 2004

No. 169/Confdl./2004/II-2-1/2004.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers Shri H. S. Markam, Member of Higher Judicial Service presently posted on deputation as Member Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur and posts him as District Judge in-charge of the Civil District Dakshin Bastar Dantewara in place of Shri J. K. S. Rajput from the date he assumes charge of his office; and

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri H. S. Markam as Sessions Judge of the Sessions Division Dakshin Bastar Dantewara.

Bilaspur, the 10th May 2004

No. 171/Confdl./2004/II-2-90/2001 Pt.-II.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers Shri J. K. S. Rajput, Member of Higher Judicial Service, presently posted as District & Sessions Judge, Dakshin Bastar Dantewara and posts him as District Judge (Vigilance), Raipur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 10th May 2004

No. 173/Confdl./2004/II-3-1/2004.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers Shri R. R. Bhardwaj, Civil Judges Class-I and Judicial Magistrate First Class, Balod, District - Durg and posts him as Civil Judge Class-I and Judicial Magistrate First Class at Ramanujganj, District - Surguja in place of shri D. R. Dayal from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 28th May 2004

No. 2417/II-1-1/2004.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13030/1/2004-US.II, dated the 21st May, 2004 of Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice), New Delhi, Hon,ble Shri Justice Ayyampalayam somasundaram Venkatachala Moorthy, Judge of the High Court of Madras has assumed charge of office of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh in the afternoon of 28th May, 2004.

Bilaspur, the 5th June 2004

No. 201/ Confdl./2004.—The High Court of Chhattisgarh, hereby directs that Shri R. N. Chandrakar, Sessions Judge, Bilaspur, in additional to his own post, shall also be the Special Judge for trial of cases under S.C. & S. T. (Prevention of Atrocities) Act at Bilaspur from the date Shri Budhram Nikunj, Special Jadge under S. C. & S. T. (Prevention of Atrocities) Act, Bilaspur relinquishes charge of that post until further orders.

Bilaspur, the 26th June 2004

No. 206/Confdl./2004/II-3-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges Class-II & Judicial Magistrates First Class as specified in column no. (2) form the place mentioned at column no. (3) and posts them in the same capacity at the place mentioned in column no. (4) in the Civil District mentioned in column no. (5) of the table below from the date they assume charge of their Office :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Civil District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Amrit Karketta	Jagdalpur	Durg	Durg	II Civil Judge Class-II
2.	Shri Anestus Toppo	Jagdalpur	Raipur	Raipur	IX Civil Judge Class-II
3.	Shri Chandra Kumar Ajgalley.	Dantewara	Raipur	Raipur	X Civil Judge Class-II
4.	Smt. Neeta Yadav	Durg	Dhamtari	Raipur	II Civil Judge Class-II
5.	Shri Ramjivan Dewangan.	Rajnandgaon	Jagdalpur	Bastar	II Civil Judge Class-II
6.	Shri Manish Kumar Naidu.	Durg	Janjgir	Bilaspur	II Civil Judge Class-II
7.	Shri Abdul Zahid Qureshi.	Bilaspur	Raipur	Raipur	IV Civil Judge Class-II
8.	Shri Shankarlal Baghel.	Narayanpur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Civil Judge Class-II
9.	Shri Jantaram Banjara	Sanjari-Balod	Ambikapur	Surguja	II Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Smt. Kiran Chaturvedi	Durg	Sanjari-Balod	Durg	II Civil Judge Class-II
11.	Shri Kartik Ram	Surajpur	Jashpur	Jashpur	Civil Judge Class-II
12.	Shri Anand Ram Dhidhi	Raipur	Bilaspur	Bilaspur	IV Civil Judge Class-II
13.	Smt. Dhaneshwari Sidar.	Dhamtari	Rajnandgaon	Rajnandgaon	II Civil Judge Class-II
14.	Shri Gregory Tirkey	Manendragarh	Baikunthpur	Surguja	Civil Judge Class-II
15.	Shri Rohit Singh Tanwar	Baikunthpur	Ambikapur	Surguja	V Civil Judge Class-II
16.	Shri Hirendra Singh Tekam.	Janjgir	Bilaspur	Bilaspur	VII Civil Judge Class-II
17.	Shri Sanjay Kumar Soni	Janjgir	Jagdalpur	Bastar	III Civil Judge Class-II
18.	Shri Jitendra Kumar	Raipur	Durg	Durg	V Civil Judge Class-II
19.	Shri Mohd. Rizwan Khan	Durg	Raipur	Raipur	III Civil Judge Class-II
20.	Shri Mansoor Ahmed	Jagdalpur	Bilaspur	Bilaspur	III Civil Judge Class-II
21.	Ku. Saroj Nand Das	Raipur	Janjgir	Bilaspur	I Civil Judge Class-II
22.	Shri Pravin Kumar Pradhan.	Durg	Bemetara	Durg	Civil Judge Class-II
23.	Shri Khilawan Ram Rigri	Bemetara	Jagdalpur	Bastar	I Civil Judge Class-II
24.	Shri Chhameshwar Lal Patel.	Bilaspur	Durg	Durg	I Civil Judge Class-II
25.	Ku. Sangharatna Bhatpahari.	Bilaspur	Durg	Durg	VIII Civil Judge Class-II
26.	Ku. Vinita Lawang	Raigarh	Durg	Durg	VII Civil Judge Class-II
27.	Shri Rishi Kumar Barman.	Jashpur	Surajpur	Surguja	Civil Judge Class-II
28.	Smt. Geeta Neware	Bilaspur	Raigarh	Raigarh	IV Civil Judge Class-II
29.	Smt. Girija Devi Meravi	Rajnandgaon	Durg	Durg	IX Civil Judge Class-II
30.	Ku. Prisilla Ekka	Raipur	Bilaspur	Bilaspur	IX Civil Judge Class-II
31.	Shri Shailesh Kumar Ketarap.	Ambikapur	Narayanpur	Bastar	Civil Judge Class-II
32.	Shri Prabodh Toppo	Durg	Manendragarh	Surguja	Civil Judge Class-II
33.	Shri Sajjan Lal Chakradhari	Ambikapur	Dantewada	Dakshin Bastar	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 26th June 2004

No. 208/Confdl./2004/II-2-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the followings members of Higher Judicial Service specified in column no. (2) from the place shown in column no. (3) to the place shown in column no. (4) and posts them as mentioned in Column No. (5) of the table below from the date they assume charge of their office :

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Posted as (5)
1.	Shri Jugal Kishore Singh Rajput	Raipur	Bilaspur	Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur in addition to this, he will look after the work of District Judge (Vigilance), Raipur also.
2.	Shri Tankeshwar Prasad Sharma	Durg	Ambikapur	District Judge, Surguja
3.	Shri Tarendra Kumar Jha	Bilaspur	Ambikapur	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
4.	Shri Dilip Kumar Bhatt	Ambikapur	Durg	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
5.	Smt. Nirmala Singh	Ambikapur	Rajnandgaon	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
6.	Shri Surendra Kumar Tiwari	Rajnandgaon	Jagdalpur	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
7.	Shri Maindass Mahilkar	Raigarh	Bilaspur	III Additional District Judge.
8.	Shri Lakhan Singh	Korba	Raigarh	II Additional District Judge
9.	Shri Teerath Ram Barman	Ambikapur	Jashpur	Additional District Judge
10.	Shri Ashok Kumar Goyal	Mahasamund	Raipur	II Additional District Judge
11.	Smt. Madhuri Katulkar	Raipur	Bilaspur	Additional District Judge in place of Shri R. K. Rathi.
12.	Shri Firu Lal Unjan	Bilaspur	Dantewara	Additional District Judge
13.	Shri Madhav Prasad Sharma	Bemetara	Ambikapur	I Additional District Judge
14.	Shri Anil Kumar Shukla	Raipur	Rajnandgaon	I Additional District Judge
15.	Shri Akhil Kumar Samant Ray	Durg	Jagdalpur	I Additional District Judge
16.	Shri Brijlal Tidke	Baloda-Bazar	Korba	Additional District Judge

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	Shri Mahadeo Katulkar	Raipur	Janjgir	Additional District Judge
18.	Shri Ram Prasad Sharma	Janjgir	Dhamtari	Additional District Judge
19.	Shri Satish Kumar Singh	Raipur	Kanker	Additional District Judge, Kanker in place of Shri Mahendra Rathore.
20.	Shri Shiv Mangal Pandey	Jagdalpur	Raipur	III Additional District Judge.
21.	Shri Yogesh Mathur	Dhamtari	Jagdalpur	III Additional District Judge.
22.	Smt. Vimla Singh Kapoor	Mahasamund	Raipur	IV Additional District Judge.
23.	Shri R. K. Rathi	Bilaspur	Raigarh	I Additional District Judge
24.	Shri Arvind Kumar Shrivastava	Bilaspur	Raipur	I Additional District Judge
25.	Smt. Shakuntala Das	Raipur	Jagdalpur	District Judge, Bastar
26.	Shri Sanman Singh	Raipur	Rajnandgaon	District Judge, Rajnandgaon.
27.	Smt. Anuradha Khare	Raipur	Bilaspur	IV Additional District Judge.
28.	Shri Prabhat Kumar Shastri	Raipur	Bilaspur	V Additional District Judge
29.	Smt. Ranoo Diwekar	Raipur	Bemetara	Additional District Judge
30.	Shri C.B.S. Patel	Raipur	Bilaspur	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
31.	Shri Amrit Lal Dahariya	Raigarh	Mahasamund	I Additional District Judge
32.	Shri Mansukh Karketta	Korba	Baloda-Bazar	II Additional District Judge

Bilaspur, the 26th June 2004

No. 210/Confdl./2004/II-3-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers Shri Angus Baruk Toppo, IInd Civil Judge Class-I and Judicial Magistrate First Class, Kawardha in the same capacity to Sukma in place of Shri Ashok Kumar Sahu, Civil Judge Class-I, Sukma, and Shri Ashok Kumar Sahu, Civil Judge Class-I and Judicial Magistrate First Class, Sukma is transferred in the same capacity to Kawardha in place of Shri Angus Baruk Toppo, IInd Civil Judge Class-I, Kawardha.

Bilaspur, the 26th June 2004

No. 213/Confdl./2004/II-2-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, absorbs the following Ad-hoc Additional District Judges of the Fast Track Courts against the regular vacancies of Higher Judicial Service from the date of issuance of this order :—

1. Shri Amrit Lal Dahariya
2. Shri Mansukh Karketta
3. Shri Narsingh Usendi
4. Shri Vijay Bhushan Singh
5. Shri Jerom Kujur
6. Shri Nico Dious Ekka
7. Shri Arun Kumar Pradhan
8. Shri Khagendra Singh
9. Shri Ashok Kumar Potdar
10. Shri Tularam Churendra

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 216/Confdl./2004/II-2-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers Shri Khelan Das, President, District Consumer Forum, Durg and posts him as Officer-on-special Duty on the establishment of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, dated the 2nd July, 2004

No. 218/Confdl./2004/II-3-2/2002.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, confirms the following Civil Judges Class-II in the Lower Judicial Service with effect from 01-07-2004 viz. :—

1. Shri Anand Ram Dhidhi
2. Shri Sanjay Kumar Soni
3. Shri Jitendra Kumar
4. Shri Maneesh Kumar Thakur
5. Shri Mohd. Rizwan Khan
6. Shri Mansoor Ahmed
7. Shri Vijay Kumar Hota
8. Ku. Saroj Nand Das
9. Shri Pravin Kumar Pradhan

10. Shri Khilawan Ram Rigri
11. Shri Chhameshwar Lal Patel
12. Shri Vinod Kumar Dewangan
13. Ku. Sanghratna Bhatpahari
14. Ku. Vinita Lawang
15. Shri Rishi Kumar Barman

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 219/Confdl./2004/II-3-2/2002.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, also issues a certificate of confirmation under Rule 11(d) of M. P. Lower Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 1994 in favour of the following Civil Judges Class-II viz. :—

1. Shri Thomas Ekka
2. Shri Daya Sindhu Ganveer
3. Shri Devendra Nath Bhagat
4. Shri Pradeep Kumar Singh
5. Shri Dileshwar Singh Rathiya
6. Smt. Geeta Neware
7. Smt. Girija Devi Meravi
8. Ku. Prisilla Ekka
9. Shri Shailesh Kumar Ketarap
10. Shri Prabodh Toppo
11. Shri Srinarayan Singh

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 221/Confdl./2004/II-2-4/2002.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, allots the date of confirmation in Higher Judicial Service to the following Judicial Officers in whose favour a certificate of confirmation was issued in terms of Rule 9 (d) of M. P. Uchchatar Nyayik Seva (Bharti Tatha Seva Sharten) Niyam, 1994 viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Smt. Anuradha Khare	01-07-2002
2.	Shri Chhotelal Singh Tekam	18-07-2002
3.	Shri Madhav Prasad Sharma	01-08-2002

(1)	(2)	(3)
4.	Shri Prabhat Kumar Shastri	01-09-2002
5.	Shri Sharad Kumar Gupta	01-10-2002
6.	Shri Rajendra Chandra Singh Samant	01-01-2004

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 222/Confdl./2004/II-2-4/2002.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, also issues a certificate of confirmation under Rule 9 (d) of M. P. Uchchatar Nyayik Seva (Bharti Tatha Seva Sharten) Niyam, 1994 in favour of the following Members of Higher Judicial Service viz. :—

1. Shri Ashok Kumar Goyal
2. Shri Pradeep Kumar Dave
3. Shri Arvind Singh Chandel
4. Shri Gautam Chouradia
5. Shri Anil Kumar Gaikwad
6. Shri Shiv Mangal Pandey
7. Shri Ramesh Kumar Rathi
8. Shri Anand Kumar Beck
9. Smt. Vimla Singh Kapoor
10. Shri Sanjay Sendray

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 224/Confdl./2004/II-2-1/2004.—In continuation of the High Court Registry Order No. 208/Confdl./2004/II-2-1/2004 dated 26-06-2004, the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the Members of Higher Judicial Service who have been posted as District Judges as Sessions Judges of the concerned Sessions Divisions under Section 9 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and also appoints the Members of Higher Judicial Service who have been posted as Special Judges under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act and Additional District Judges as Additional Sessions Judges of the respective Sessions Divisions under Section 9 (3) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 226/Confdl./2004/II-2-1/2004.—Shri Lakhan Singh, Additional District Judge, who was transferred from Korba as Additional District Judge (F.T.C.), Raigarh is now transferred as Ist Additional District Judge, Durg with effect from the date he assumes charge of his duties.

Shri Lakhan Singh is also appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division Durg under Section 9 (3) of the Code of Criminal Procedure 1973.

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 228/Confdl./2004/II-2-1/2004.—In the Order No. 206/Confdl./2004/II-3-1-2004 dated 26th June, 2004 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, the following amendments are carried out :—

1. At Serial No. 1 in Column No. 6, the posting of Shri Amrit Karketta may be read as IV Civil Judge Class-II Durg.

2. At Serial No. 22 in Column No. 6, the posting of Shri Pravin Kumar Pradhan may be read as II Civil Judge Class-II, Bemetara.

3. At Serial No. 33 in Column No. 6, the posting of Shri S. L. Chakradharai may be read as I Civil Judge Class-II, Dantewara.

In the Order No. 208/Confdl./2004/II-2-1-2004 dated 26th June, 2004 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur the following amendments are carried out :—

1. At Serial No. 18 in Column No. 2 the name Shri Ram Prasad Sharma may be read as Shri Ram Prasanna Sharma.

2. At Serial No. 32 in Column No. 3, the Present place of posting of Shri Mansukh Karketta may be read as X Additional District Judge, Fast Track Court, Bilaspur in place of Korba.

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 230/Confdl./2004/II-2-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh hereby, transfers the following members of Higher Judicial Service specified in column no. (2) from the place shown in column no. (3) to the place shown in column no. (4) and posts them as Additional District Judges as specified in column no. (6) of the table below from the date they assume charge of their office :—

The High Court of Chhattisgarh, hereby, also appoints the following members of Higher Judicial Service as Additional Sessions Judges under sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 for their respective Sessions Divisions specified against their names in column no. (5) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri A. K. Pathak	Baikunthpur	Mahasamund	Raipur	IInd Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri M. P. Singhal	Durg	Baikunthpur	Surguja	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 232/Confdl./2004/II-15-21/2000 (Pt. III).—The High Court of Chhattisgarh hereby, transfers the following Additional District Judges as specified in Column No. (2) of the table below and posts them as Additional District Judges in the Fast Track Courts at the Places mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their Office, viz. :—

The High Court of Chhattisgarh, hereby, also appoints the following Additional District Judges as Additional

Sessions Judges under sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 for their respective Sessions Divisions specified against their respective names in Column No. (5), viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Narsingh Usendi	Mungeli	Durg	Durg	VII Additional District & Sessions Judge in Fast Track Court.
2.	Smt. Rajni Dubey	Durg	Bilaspur	Bilaspur	X Additional District & Sessions Judge in Fast Track Court.

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 234/Confdl./2004/II-15-21/2000 (Pt. III).—The High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the followings Judicial Officers as specified in Column No. (2) of the table below, who have been appointed as Ad-hoc Additional District Judges of Fast Track Courts vide Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur Order No. 3068/D-21-B/C. G./04 dated 28-06-2004, and posts them as additional District Judges in the Fast Track Courts as specified in Column No. (6) from the date they assume charge of their Office, viz. :—

The High Court of Chhattisgarh, hereby, also appoints the following Judicial Officers as Additional Sessions Judges under sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 for their respective Sessions Divisions specified against their respective names in Column No. (5), viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Radha Kishan Agrawal.	Raipur	Surajpur	Surguja	IV Additional District & Sessions Judge in Fast Track Court.
2.	Shri Govind Kumar Mishra.	Dhamtari	Ambikapur	Surguja	III Additional District & Sessions Judge in Fast Track Court.
3.	Shri Nirmal Minj	Kanker	Raipur	Raipur	XII Additional District & Sessions Judge in Fast Track Court.
4.	Shri Sewak Ram Banjare	Raigarh	Janjgir	Bilaspur	III Additional District & Sessions Judge in Fast Track Court.
5.	Shri Agralal Joshi	Bilaspur	Raigarh	Raigarh	IV Additional District & Sessions Judge in Fast Track Court.
6.	Shri Ravi Shankar Sai	Rajnandgaon	Jagdalpur	Bastar	IV Additional District & Sessions Judge in Fast Track Court.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Shri Sypriel Xess	Durg	Raipur	Raipur	XIII Additional District & Sessions Judge in Fast Track Court.
8.	Shri Nand Kumar Singh Thakur.	Jagdalpur	Mungeli	Bilaspur	II Additional District & Sessions Judge in Fast Track Court.
9.	Shri. Lochan Ram Thakur	Jashpur	Durg	Durg	VIII Additional District & Sessions Judge in Fast Track Court.
10.	Smt. Amrita Sanjay Lal	Korba	Raipur	Raipur	XIV Additional District & Sessions Judge in Fast Track Court.

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 236/Confdl./2004/II-3-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh hereby, transfers the following Civil Judges Class-I and Chief Judicial Magistrates as specified in Column No. (2) of the table below and posts them as Civil Judges Class-I at the place mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their Office, viz. :—

The High Court of Chhattisgarh, hereby, also appoints the following Civil Judges Class-I as Additional Chief Judicial Magistrates under sub-section (2) of Section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1973 for their respective Revenue Districts specified against their respective names in Column No. (5), viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Makardhwaj Jagdalla	Baikunthpur	Bemetara	Durg	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Virendra Kumar Chanakya	Ambikapur	Dongargarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 238/Confdl./2004/II-3-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh hereby, promotes the following Civil Judges Class-II specified in Column No. (2) of the table below as ad-hoc Civil Judges Class-I with the condition that they shall be entitled to the pay of the post of Civil Judge Class-I only after completion of their 6 years service, viz. :—

The High Court of Chhattisgarh, hereby, also transfers the following Judicial Officers from the place specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) from the date they assume charge of their Office, viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	to (4)	Posted as (5)
1.	Shri Anestus Toppo	Raipur	Manendragarh	Civil Judge Class-I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Shri Chandra Kumar Ajgalley	Raipur	Gharghora	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Raigarh at Gharghora.
3.	Smt. Neeta Yadav	Dhamtari	Raipur	V Civil Judge Class-I
4.	Shri Ramjivan Dewangan	Jagdalpur	Durg	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Durg.
5.	Shri Manish Kumar Naidu	Janjgir	Ambagarh Chowki	Civil Judge Class-I
6.	Shri Abdul Zahid Qureshi	Raipur	Durg	III Civil Judge Class-I
7.	Shri Jantaram Banjara	Ambikapur	Raipur	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Raipur.
8.	Smt. Kiran Chaturvedi	Sanjari-Balod	Mungeli	Civil Judge Class-I
9.	Shri Kartik Ram	Jashpur	Raipur	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Raipur.
10.	Shri Anand Ram Dhidhi	Bilaspur	Saraipali	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class I, Raipur at Saraipali.

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 240/Confdl./2004/II-3-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh hereby, promotes the following Civil Judges Class-I specified in Column No. (2) of the table below as ad-hoc Civil Judges Class-I-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate with the condition that they shall be entitled for pay of the post of Civil Judge class-I-cum-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate only after completion of their 4 years service as Civil Judge Class-I.

The High Court of Chhattisgarh, hereby, also transfers the following Judicial Officers from the place specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) and appoints them Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates for their respective revenue Districts mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their Office, viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Arvind Kumar Verma.	Gharghora	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Rajesh Kumar Shrivastava.	Durg	Jashpur	Jashpur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
3.	Smt. Sushma Sawant	Raipur	Ambikapur	Surguja	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Shri Doctorlal Katakwar	Durg	Baikunthpur	Koria	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
5.	Shri Ramashankar	Mungeli	Bilaspur	Bilaspur	III Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
6.	Shri Reshamlal Kurre	Saraipali	Khairagarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
7.	Shri Vijay Kumar Ekka	Raipur	Sakti	Janjgir	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
8.	Shri Rakesh Bihari Ghore	Ambagarh Chowki	Raipur	Raipur	VI Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
9.	Shri Anand Kumar Dhruw	Manendragarh	Durg	Durg	I Additional Judge to I Civil Judge Class-I and Additional Chief Judicial Magistrate.
10.	Shri Ganesh Ram Sande	Raipur	Surajpur	Surguja	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 2nd July 2004

No. 242/Confdl./2004/II-3-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh hereby, transfers the following Civil Judges Class-I and Additional Chief Judicial Magistrates as specified in Column No. (2) of the table below and posts them as Civil Judges Class-I at the place mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their Office, viz. :—

The High Court of Chhattisgarh, hereby, also appoints the following Civil Judges Class-I as Chief Judicial Magistrates under sub-section (1) of Section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1973 for their respective Revenue Districts specified against their respective names in Column No. (5), viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Kanwar Lal Chargeni.	Bemetara	Jagdalpur	Bastar	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Jaideep Vijay Nimonkar.	Dongargarh	Kanker	Kanker	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
3.	Shri Noordeen Tigala	Bilaspur	Raipur	Raipur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Shri Shailesh Kumar Tiwari.	Khairagarh	Raigarh	Raigarh	I Civil Judge Class-I & Chief Judical Magistrate.
5.	Shri Narendra Singh Chawla.	sakti	Bilaspur	Bilaspur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
6.	Smt. Minakshi Gondaley	Raipur	Dhamtari	Dhamtari	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
7.	Shri Ram Kumar Tiwari	Durg	Korba	Korba	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
8.	Shri Jagdamba Rai	Surajpur	Durg	Durg	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 9th July 2004

No. 254/Confdl./2004/II-3-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges Class-I & Judicial Magistrates First Class specified in Column No. (2) in the same capacity from the place shown in column no. (3) and posts them at the place mentioned in column No. (4) in the Civil District mentioned in column No. (5) of the table below from the date they assume charge of their office :

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Civil District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Hemant Kumar Agrawal.	Bhanupratappur	Bilaspur	Bilaspur	V Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class.
2.	Shri Bhisma Prasad Pandey.	Bilaspur	Bhanupratappur	Bastar	Additional Judge to I Civil Judge Class-I, Jagdalpur at Bhanupratappur & Judicial Magistrate First Class.
3.	Shri Ashok Kumar Lunia.	Gariyaband	Durg	Durg	II Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class.
4.	Smt. Kanta Martin	Durg	Raigarh	Raigarh	Additional Judge to I Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class.
5.	Shri Phool Singh Penkra	Bemetara	Katghora	Bilaspur	Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class.
6.	Shri Gokaran Singh Kunjam.	Katghora	Gariyaband	Raipur	Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Smt. Anita Dahariya	Raigarh	Raipur	Raipur	III Additional Judge to I Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class.
8.	Smt. Suman Ekka	Raipur	Bemetara	Durg	Additional Judge to Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class.

Bilaspur, the 9th July 2004

No. 256/Confdl./2004/II-3-1/2004.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges Class-II & Judicial Magistrates First Class as specified in Column No. (2) in the same capacity from the place mentioned at column no. (3) and posts them at the place mentioned in column no. (4) in the Civil District mentioned in column no. (5) of the table below from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Civil District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vijay Kumar Hota	Baloda-Bazar	Balod	Durg	I Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class.
2.	Shri Dileshwar Singh Rathiya.	Surajpur	Jashpur	Jashpur	Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class.

Bilaspur, the 15th July 2004

No. 260/Confdl./2004/II-15-66/2001.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to accept the resignation tendered by Shri B. K. Shrivastava from the post of Director, Judicial Officers' Training Institute, Bilaspur with immediate effect.

Hon'ble the Chief Justice has been further pleased to order that the Registrar General of this High Court will take additional charge of the Office of Director, Judicial Officers' Training Institute, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur with immediate effect till further orders.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
VIJAY KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 27th Febuary 2004

No. 60/Confdl./2004/II-15-66/2001.—In exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India and Rule 4 (3) of the Chhattisgarh High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2003 incorporated with the prior approval of the Governor vide State Government Order No. 5167/D-1485/21-A/CG/ 2003 dated 18/19-08-2003, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Shri Binaya Kumar Shrivastava, Retired Member of Higher Judicial Service, who is presently on extension uo to 29-02-2004, as the Director of Judicial Officers' Training Institute on the establishment of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur for two Years with effect from 1st of March 2004 according to the prevailing rules of reappointment on the basis of last pay drawn minus pension.

Bilaspur, the 1st March 2004

No. 62/Confdl./2004/II-2-90/2001 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice Has been pleased to appoint Shri Vijay Kumar Shrivastava, Member of Higher Judicial Service presently posted as District & Sessions Judge, Raipur as the Registrar General of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur with effect from 8th of march 2004.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
T. K. JHA, Registrar (Vigilance).

बिलासपुर, दिनांक 1 मई 2004

क्रमांक 2032/तीन-6-8/2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री डी. एस. राठिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सूरजपुर जिला सरगुजा को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

Bilaspur, the 1 May 2004

No. 2032/III-6-8/2004.—In exercise of the Powers Conferred Under clause (c) of sub-secti 1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh by specially empowers, Shri D. S. Rathia, Judicial Magistrate First Class, Surajpur, District Surguja to try in a sun. y way all or any of the offences specified in the said section.

बिलासपुर, दिनांक 1 मई 2004

क्रमांक 2034/तीन-6-8/2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री वी. के. देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर जिला सरगुजा को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

Bilaspur, the 1st May 2004

No. 2034/III-6-8/2004.—In exercise of the Powers Conferred Under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Shri V. K. Dewangan, Judicial Magistrate First Class, Pratappur, District Surguja to try in a summary way all or any of the offences specified in the said section.

Bilaspur, the 28th April 2005

No. 282/Confdl./2005.—In continuation of the High Court Registry Order No. 278/Complaint dated 28th April 2005, it is further directed that headquarters of Shri Buddharam Nikunj, In-charge District & Sessions Judge and Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Durg (presently under suspension) is fixed at Durg until further orders. As regards payment of subsistence allowance, it shall be paid as per rules.

Bilaspur, the 28th April 2005

No. 284/Confdl./2005.—In continuation of the High Court Registry Order No. 280/Complaint dated 28th April 2005, it is further directed that headquarters of Shri Virendra Kumar Chankaya, Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate, Dongargarh (presently under suspension) is fixed at Rajnandgaon until further orders. As regards payment of subsistence allowance, it shall be paid as per rules.

By Order of the High Court,
D. K. TIWARI, Additional Registrar.